वायु सेना अधिनियम, 1950

(1950 का अधिनियम संख्यांक 45)[1]

[18 मई, 1950]

वायु सेना के शासन से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम वायु सेना अधिनियम, 1950 कहा जा सकेगा ।

(2) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

2. इस अधिनियम के अध्यधीन व्यक्ति—निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात् :—

(क) वायु सेना के आफिसर और वारण्ट आफिसर,

(ख) इस अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित किए गए व्यक्ति,

[3][(ग) वे व्यक्ति, जो नियमित वायु सेना रिजर्व या वायु रक्षा रिजर्व या सहायक वायु सेना के अंग हैं, रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) की धारा 26 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में,]

(घ) वायु सेना विधि के अध्यधीन अन्यथा न आने वाले व्यक्ति, जो सक्रिय सेवा पर, कैम्प में, प्रगमन पर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सीमान्त चौकी पर, वायु सेना के किसी प्रभाग द्वारा नियोजित हों, या उसकी सेवा में हों, या उसके अनुचारी हों, या उसके साथ चलते हों,

वे जहां कहीं भी हों, इस अधिनियम के अध्यधीन होंगे ।

3. अधिनियम के लागू होने का पर्यवसान—हर व्यक्ति, जो धारा 2 के खण्डों (क) से (ग) तक के अधीन इस अधिनियम के अध्यधीन है, तब तक जब तक वह सेवा से सम्यक् रूप से निवृत्त, उन्मोचित, निर्मुक्त या पदच्युत न कर दिया जाए या हटा न दिया या सकलंक पदच्युत न कर दिया जाए, ऐसे अध्यधीन बना रहेगा ।

4. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "सक्रिय सेवा" से जब कि वह उस व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त है, जो इस अधिनियम के अध्यधीन है वह समय अभिप्रेत है, जिसके दौरान वह व्यक्ति—

(क) ऐसे बल से संलग्न है या उसका भाग है जो शत्रु के विरुद्ध संक्रियाओं में लगा है, अथवा

(ख) उस देश या स्थान में, जो शत्रु द्वारा पूर्णत: या भागत: दखल में है, वायु सैनिक संक्रियाओं में लगा हो या उसकी ओर प्रगमन पथ पर हो, अथवा

(ग) ऐसे बल से संलग्न है या उसका भाग है जो किसी विदेश पर सैनिक दखल रखता है ;

(ii) "वायुयान" के अन्तर्गत विमान, बैलून, काइट बैलून, वायु पोत, ग्लाइडर या उड़ान करने की अन्य मशीनें आती हैं ;

(iii) "वायुयान सामग्री" के अन्तर्गत वायुयान के सम्बन्ध में उपयोग में लाए जाने के लिए कोई भी इंजिन, फिटिंग, गन, गियर, उपकरण या साधित्र तथा उसका कोई घटक और उपसाधन और विमान के लिए चालक शक्ति उपबन्धित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पैट्रोल, तेल और अन्य पदार्थ आते हैं ;

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार, 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर, और 1963 के विनियम सं० 1 की धारा 3 तथा अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी पर किया गया है ।

[2] 22 जुलाई, 1950, देखिए अधिसूचना सं० कानूनी नियम आदेश, 124, तारीख 22 जुलाई, 1950, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), भाग 2, खंड 4, पृष्ठ 87 ।

[3] 1952 के अधिनियम सं० 62 की धारा 35 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(iv) "वायु सेना" से ऐसे आफिसर और वायु सैनिक अभिप्रेत हैं जो अपने आयोग, अभिपत्र या अभ्यावेशन के निबन्धनों द्वारा या अन्यथा निरन्तर किसी अवधि के लिए संसार के हर भाग में या संसार के किसी विनिर्दिष्ट भाग में संघ की वायु सेना में सेवा करने के दायित्वाधीन हैं और [1][किसी वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना] के व्यक्ति जब वे स्थायी सेवा के लिए आहूत किए गए हों, इसके अन्तर्गत आते हैं ;

(v) "वायु सेना अभिरक्षा" से सेवा की प्रथाओं के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफतारी या परिरोध अभिप्रेत है और सैनिक या नौसैनिक अभिरक्षा इसके अन्तर्गत आती है ;

(vi) "वायु सेना विधि" से इस अधिनियम द्वारा अधिनियमित विधि और तद्धीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं और सेवा की प्रथाएं इसके अन्तर्गत आती हैं ;

(vii) "वायु सेना इनाम" के अन्तर्गत दीर्घकालीन सेवा या सदाचरण के लिए कोई उपदान या वार्षिक, कोई बेज-वेतन या पेंशन और अन्य वायु सेना का धनीय इनाम आता है ;

(viii) "वायुसैनिक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो आफिसर से भिन्न है ;

(ix) "एयर आफिसर" से अभिप्रेत है वायु सेना का कोई आफिसर जो ग्रुप कैप्टन के रैंक से ऊपर का है ;

(x) "वायु सिग्नल" से वायुयान के मार्गदर्शन के लिए आशयित कोई भी सिग्नल अभिप्रेत है चाहे वह झंडी द्वारा, भूमि सिग्नल द्वारा, प्रकाश द्वारा, पवन सूचक द्वारा या किसी भी अन्य रीति से दिया गया है ;

(xi) "मुख्य विधि सलाहकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वायुसेना विधि से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देने के लिए और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो उनके सम्बन्ध में उद्भूत हों, पालन करने के लिए [2][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा उस रूप में नियुक्त किया जाए ;

(xii) "सिविल अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो दण्ड न्यायालय द्वारा विचारणीय है ;

(xiii) "सिविल कारागार" से ऐसी जेल या स्थान अभिप्रेत है जो किसी आपराधिक कैदी के निरोध के लिए कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रयुक्त किया जाता हो ;

[3][(xiv) "वायु सेनाध्यक्ष" से वायु सेना का समादेशन करने वाला आफिसर अभिप्रेत है ;]

(xv) "कमान आफिसर" से जब कि वह इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त है वह आफिसर अभिप्रेत है जो उस यूनिट या टुकड़ी का तत्समय समादेशन कर रहा हो जिसका ऐसा व्यक्ति अंग है या जिससे ऐसा व्यक्ति संलग्न है ;

(xvi) "सेना न्यायालय" से उस अधिनियम के अधीन अधिविष्ट सेना न्यायालय अभिप्रेत है ;

(xvii) "दण्ड न्यायालय" से [4]*** भारत के किसी भाग में का मामूली दण्ड न्यायालय अभिप्रेत है ;

(xviii) "शत्रु" के अन्तर्गत ऐसे सब सशस्त्र सैन्य विद्रोही, सायुध बागी, सायुघ बल्वाकारी, जलदस्यु और ऐसा कोई उद्यतायुध व्यक्ति आता है जिसके विरुद्ध कार्य करना किसी भी ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य है जो वायु सेना विधि के अध्यधीन है ;

(xix) "बूल" से नियमित सेना, नौसेना, और वायु सेना या उनमें से किसी एक या अधिक का कोई भाग अभिप्रेत है ;

(xx) "अनायुक्त आफिसर" से वायु सेना में अनायुक्त रैंक या कार्यकारी अनायुक्त रैंक धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और [1][किसी वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना] में अनायुक्त रैंक या कार्यकारी अनायुक्त रैंक धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जब वह इस अधिनियम के अध्यधीन है, इसके अन्तर्गत आता है ;

(xxi) "अधिसूचना" से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(xxii) "अपराध" से इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है और इसमें इसके पूर्व यथा परिभाषित, सिविल अपराध इसके अन्तर्गत आता है ;

(xxiii) "आफिसर" से वायु सेना में आफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतन पाने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और—

(क) [5][किसी वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना] का कोई आफिसर जो इस अधिनियम के तत्समय अध्यधीन हो,

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 62 की धारा 35 द्वारा "इंडियन एयर फोर्स स्वेच्छा रिजर्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा मूल खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 1975 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा (25-1-1975 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न" का लोप किया गया।
[5] 1952 के अधिनियम सं० 62 की धारा 35 द्वारा "इण्डियन एयर फोर्स स्वेच्छा रिजर्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अध्यधीन है जब वह ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है जो विहित की जाए नियमित सेना या नौसेना का कोई आफिसर,

इसके अन्तर्गत आता है ;

किन्तु कनिष्ठ आयुक्त आफिसर, वारंट आफिसर पेटी आफिसर या अनायुक्त आफिसर इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं ;

(xxiv) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(xxv) "प्रोवो मार्शल" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 108 के अधीन इस रूप में नियुक्त है और उसके उपपदियों या सहायकों में से कोई, या कोई अन्य व्यक्ति जो उसके अधीन या उसकी ओर से प्राधिकार का वैध रूप से प्रयोग कर रहा है, इसके अन्तर्गत आता है ;

(xxvi) "विनियम" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम आता है ;

(xxvii) "वरिष्ठ आफ़िसर" के अन्तर्गत जब कि वह इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त है कोई वारण्ट आफ़िसर और अनायुक्त आफ़िसर आता है तथा ऐसी परिस्थितियों में, जो विहित की जाएं, सेवा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में, नियमित सेना या नौसेना का आफ़िसर, कनिष्ठ आयुक्त आफ़िसर, वरिष्ठ आफ़िसर, पेटी आफ़िसर और अनायुक्त आफ़िसर आता है ;

(xxviii) "यूनिट" के अन्तर्गत आता है —

(क) आफ़िसरों और वायु सैनिकों का ऐसा निकाय जिसके लिए एक पृथक् प्राधिकृत स्थापन विद्यमान है,

(ख) इस अधिनियम के अध्यधीन के ऐसे व्यक्तियों का पृथक् निकाय, जो किसी सेवा में नियोजित है और यथापूर्वोक्त किसी यूनिट से संलग्न नहीं है,

(ग) व्यक्तियों का ऐसा अन्य पृथक् निकाय, जो इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्तियों से पूर्णत: या भागत: मिलकर बना है और केन्द्रीय सरकार द्वारा एक यूनिट के रूप में विनिर्दिष्ट है ;

(xxix) "वारण्ट आफ़िसर" से वायु सेना के वारण्ट आफ़िसर के रूप में नियुक्त राजपत्रित या वेतन पाने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और [1][किसी वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना] का कार्यकारी वारण्ट आफिसर, मास्टर वारण्ट आफिसर और वारण्ट आफ़िसर जो इस अधिनियम के तत्समय अध्यधीन हो, इसके अन्तर्गत आता है ;

(xxx) इसमें प्रयुक्त किए गए और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में परिभाषित किए गए और इसमें इसके पूर्व परिभाषित न किए गए [2][("भारत" शब्द के सिवाय) सब शब्दों] और पदों के वे ही अर्थ समझे जाएंगे जो उस संहिता में हैं ।

अध्याय 2

कतिपय मामलों में अधिनियम के लागू होने के लिए विशेष उपबन्ध

5. केन्द्रीय सरकार के अधीन के कतिपय बलों पर अधिनियम का लागू होना—(1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी उपबन्धों को या उनमें से किसी को, उपान्तरों के सहित या बिना, किसी ऐसे बल को, जो भारत में समुत्थापित किया और बनाए रखा गया है, लागू कर सकेगी और उक्त बल को तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियमिति का प्रर्वतन निलम्बित कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के ऐसे लागू किए गए उपबन्ध उक्त बल के व्यक्तियों के बारे में वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे इस अधिनियम के अध्यधीन के उन व्यक्तियों के बारे में प्रभावी होते हैं, जो वायु सेना में वही या उसके समतुल्य रैंक धारण करते हैं जो पूर्वोक्त व्यक्ति उक्त बल में तत्समय धारण करते हों ।

(3) इस अधिनियम के ऐसे लागू किए गए उपबन्ध उन व्यक्तियों के बारे में भी, जो उक्त बल के किसी प्रभाग द्वारा नियोजित हों या उसकी सेवा में हों, या उसके अनुचारी हों या उसके साथ चलते हों, वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे उन व्यक्तियों के बारे में प्रभावी होते हैं जो धारा 2 के खंड (घ) के अधीन इस अधिनियम के अध्यधीन हैं ।

(4) जब तक इस अधिनियम का कोई भी उपबन्ध उक्त बल को लागू रहे तब तक केन्द्रीय सरकार यह निदेश अधिसूचना द्वारा दे सकेगी कि इन उपबन्धों के प्रवर्तन से आनुषंगिक किसी अधिकारिता, शक्तियों या कर्तव्यों का उक्त बल के बारे में प्रयोग या पालन किसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

6. कतिपय दशाओं में रैंक की बाबत विशेष उपबन्ध—(1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि कोई व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्ति, जो धारा 2 के खंड (घ) के अधीन इस अधिनियम के अध्यधीन हैं, आफिसरों, वारण्ट आफिसरों, या अनायुक्त

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 62 की धारा 35 द्वारा "इण्डियन एयर फोर्स स्वेच्छा रिजर्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1975 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा (25-1-1975 से) "सब शब्दों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

आफिसरों के रूप में ऐसे अध्यधीन होंगे और वह किसी भी आफिसर को प्राधिकृत कर सकेगी कि वह वैसा ही निदेश दे और ऐसे निदेश को रद्द करे ।

(2) आफिसरों, वारण्ट आफिसरों और अनायुक्त आफिसरों से भिन्न वे सब व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अध्यधीन हैं, उस दशा में अनायुक्त आफिसरों के रैंक से निम्नतर रैंक के समझे जाएंगे जिस दशा में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या निदेश प्रवृत्त है ।

7. उन व्यक्तियों का कमान आफिसर जो धारा 2 के खंड (घ) के अधीन वायु सेना विधि के अध्यधीन है—(1) हर व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (घ) के अधीन इस अधिनियम के अध्यधीन हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस यूनिट या टुकड़ी के, यदि कोई हो, जिससे वह संलग्न है, कमान आफिसर के अधीन और उस दशा में, जिसमें कि वह ऐसे संलग्न नहीं हैं, उस बल का जिसमें वह व्यक्ति तत्समय सेवा कर रहा हो, समादेशन करने वाले आफिसर द्वारा तत्समय उसके कमान आफिसर के रूप में नामित आफिसर या किसी अन्य विहित आफिसर के समादेश के अधीन या यदि ऐसा कोई आफिसर नामित या विहित न हो तो बल का समादेशन करने वाले उक्त आफिसर के समादेशन के अधीन समझा जाएगा ।

(2) किसी बल का समादेशन करने वाला आफिसर धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से निम्नतर पदीय रैंक के आफिसर के समादेश के अधीन नहीं रखेगा यदि उस स्थान में जहां ऐसा व्यक्ति है उच्चतर रैंक का कोई आफिसर विद्यमान है जिसके समादेश के अधीन वह रखा जा सकता है ।

8. कतिपय दशाओं में शक्तियों का प्रयोग करने वाले आफिसर—(1) जब कभी इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्ति किसी ऐसे वायु सेना फारमेशन का, जो इस धारा में विशिष्ट रूप से नामित नहीं है और जो केन्द्रीय सरकार की राय में स्कवाड्रन से कम नहीं है, समादेशन करने वाले आफिसर के अधीन सेवा कर रहें हों, तब उक्त सरकार ऐसा आफिसर विहित कर सकेगी जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जिनका इस अधिनियम के अधीन प्रयोग कमांडों के भारसाधक एयर आफिसरों द्वारा और ग्रुपों, विंगों और स्क्वाडनों का समादेशन करने वाले आफिसरों द्वारा किया जा सकता है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी शक्तियां या तो आत्यन्तिकात: या ऐसे निर्बन्धनों, आरक्षणों, अपवादों और शर्तों के अधीन, जैसे या जैसी वह ठीक समझे, प्रदत्त कर सकेगी ।

9. व्यक्तियों का सक्रिय सेवा पर होना घोषित करने की शक्ति—धारा 4 के खंड (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि कोई व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अध्यधीन हैं, किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें वे सेवा कर रहे हों, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अर्थ में सक्रिय सेवा पर समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

आयोग, नियुक्ति और अभ्यावेशन

10. आयोग और नियुक्ति—राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, वायु सेना के आफिसर के रूप में आयोग अनुदत्त कर सकेगा या किसी व्यक्ति को वायु सेना के वारण्ट आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

11. अभ्यावेशन के लिए अन्य देशियों की अपात्रता—कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित रूप में संज्ञापित सम्मति से अभ्यावेशित किए जाने के सिवाय वायु सेना में अभ्यावेशित नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात वायु सेना में नेपाल के प्रजाजनों के अभ्यावेशन को वर्जित नहीं करेगी ।

12. अभ्यावेशन या नियोजन के लिए नारियों की अपात्रता—कोई भी नारी वायु सेना के भाग रूप या उसके किसी प्रभाग से संलग्न ऐसे कोर, विभाग, शाखा या अन्य निकाय में, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे अभ्यावेशित या नियुक्त होने की पात्र होने के सिवाय वायु सेना में अभ्यावेशित या नियुक्त होने की पात्र नहीं होगी :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो वायु सेना की या उसकी किसी शाखा की सहायक किसी सेवा को, जिसमें नारियां अभ्यावेशित या नियुक्त होने की पात्र हों, समुत्थापित करने और बनाए रखने के लिए उपबन्ध करती हैं ।

13. अभ्यावेशन आफिसर के समक्ष प्रक्रिया—विहित अभ्यावेशन आफिसर के समक्ष उस व्यक्ति के उपसंजात होने पर, जो अभ्यावेशित होने का इच्छुक है, वे अभ्यावेशन आफिसर उस सेवा की वे शर्तें जिन पर उसे अभ्यावेशित किया जाना है, उसे पढ़कर सुनाएगा और उसे समझाएगा या अपनी उपस्थिति में उसे पढ़वा कर सुनवाएगा और समझवाएगा, तथा अभ्यावेशन के विहित प्ररूप में उपवर्णित प्रश्न उससे पूछेगा और उसे इस बात से सावधान करने के पश्चात् कि यदि वह ऐसे किसी प्रश्न का मिथ्या उत्तर देगा तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा, ऐसे हरेक प्रश्न का उसका उत्तर अभिलिखित करेगा या अभिलिखित कराएगा ।

14. अभ्यावेशन का ढंग—यदि धारा 13 के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् अभ्यावेशन आफिसर का समाधान हो जाता है कि अभ्यावेशित होने का इच्छुक व्यक्ति अपने से पूछे गए प्रश्नों को पूर्णतया समझता है और सेवा की शर्तों के लिए अपनी

सम्मति देता है, और यदि ऐसे आफिसर को कोई अड़चन जान नहीं पड़ती तो वह अभ्यावेशन पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उस व्यक्ति से भी हस्ताक्षर कराएगा और तदुपरि यह समझा जाएगा कि वह व्यक्ति अभ्यावेशित हो गया है ।

15. अभ्यावेशन की विधिमान्यता—हर व्यक्ति की बाबत, जो तीन मास की कालावधि पर्यन्त इस अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित किए गए व्यक्ति के रूप में वेतन लेता रहा है और जिसका नाम तत्पर्यन्त किसी यूनिट के रोल पर रहा है, यह समझा जाएगा कि वह सम्यक् रूप से अभ्यावेशित हो गया है और वह अपने अभ्यावेशन में किसी अनियमितता या अवैधता के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, अपने उन्मोचन का दावा करने का हकदार नहीं होगा, और पूर्वोक्त रूप में जो व्यक्ति ऐसा वेतन लेता रहा है और जिसका नाम रोल पर रहा है, यदि वह अपने अभ्यावेशन से तीन मास के अवसान के पूर्व अपने उन्मोचन का दावा करता है तो जब तक उसके दावे के अनुसररण में उसे उन्मोचित नहीं कर दिया जाता कोई भी ऐसी अनियमितता या अवैधता या अन्य आधार न तो इस अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित किए गए व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति पर प्रभाव डालेगा और न उसके उन्मोचन से पूर्व की गई किसी कार्यवाही, कार्य या बात को अविधिमान्य करेगा ।

16. व्यक्ति जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी—निम्नलिखित व्यक्तियों को शपथ दिलाई जाएगी, अर्थात् :—

(क) योधकों के रूप में अभ्यावेशित किए गए सब व्यक्ति ;

(ख) अनायुक्त आफिसर या कार्यकारी अनायुक्त आफिसर का रैंक धारण करने के लिए चुने गए सब व्यक्ति ;

(ग) इस अधिनियम के अध्यधीन के सभी ऐसे अन्य व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

17. शपथ दिलाने का ढंग—(1) जबकि उस व्यक्ति के बारे में, जिसे शपथ दिलाई जानी है, यह रिपोर्ट हो जाए कि वह ड्यूटी के योग्य है या जबकि ऐसा व्यक्ति परिवीक्षा की विहित कालावधि पूरी कर चुका है तब उसके यूनिट के या उसके ऐसे प्रभाग के समक्ष, जो उपस्थित हो, उसके कमान आफिसर द्वारा या किसी अन्य विहित व्यक्ति द्वारा विहित रूप में उसे शपथ दिलाई जाएगी या उससे प्रतिज्ञान कराया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन विहित शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप में यह प्रतिज्ञा अन्तर्विष्ट होगी कि वह व्यक्ति, जिसे शपथ दिलायी जानी है, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा रखेगा, कि वह वायु सेना में सेवा करेगा, तथा भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से जहां कहीं जाने का उसे आदेश दिया जाए वहां जाएगा और कि वह अपने उपरस्थ किसी आफिसर के सब समादेशों का अपने जीवन की जाखिम उठा कर भी पालन करेगा ।

(3) यह तथ्य कि अभ्यावेशित व्यक्ति ने वह शपथ ले ली है या प्रतिज्ञान कर लिया है, जो इस धारा द्वारा निर्दिष्ट है, उसके अभ्यावेशन पत्र में प्रविष्ट किया जाएगा और शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने वाले आफिसर के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किया जाएगा ।

अध्याय 4

सेवा की शर्तें

18. अधिनियम के अधीन सेवा की अवधि—इस अधिनियम के अध्यधीन का हर व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

19. केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा का पर्यवसान—इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी भी व्यक्ति को सेवा से पदच्युत कर सकेगी या हटा सकेगी ।

20. वायु सेनाध्यक्ष द्वारा या अन्य आफिसरों द्वारा पदच्युत किया जाना, हटाया जाना या अनवत किया जाना—(1) [1][वायु सेनाध्यक्ष] इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी भी व्यक्ति को, जो आफिसर से भिन्न है, सेवा से पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा ।

(2) [1][वायु सेनाध्यक्ष] किसी वारण्ट आफिसर या किसी अनायुक्त आफिसर को निरन्तर श्रेणी या रैंक या सामन्य सैनिकों में अवनत कर सकेगा ।

(3) किसी कमांड के भारसाधक वायु आफिसर से अन्यून शक्ति रखने वाला आफिसर या समतुल्य समादेशक, या कोई विहित आफिसर, अपने समादेश के अधीन सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आफिसर या वारण्ट आफिसर से भिन्न है, सेवा से पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा ।

(4) सक्रिय सेवा पर फील्ड में वायु बल का समादेशन करने वाला आफिसर अपने समादेश के अधीन के किसी वारण्ट आफिसर या अनायुक्त आफिसर को निम्नतर रैंक में या सामान्य सैनिक श्रेणी में अवनत कर सकेगा ।

(5) [1][वायु सेनाध्यक्ष] या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कोई आफिसर किसी वारण्ट आफिसर या अनायुक्त आफिसर से भिन्न किसी वायु सैनिक को सामान्य सैनिकों में निम्नतर वर्ग में अवनत कर सकेगा ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(6) किसी कार्यकारी अनायुक्त आफिसर का कमान आफिसर उसे अनायुक्त आफिसर के रूप में अपने अधिष्ठायी रैंक में या यदि उसका ऐसा कोई अधिष्ठायी रैंक न हो तो सामान्य सैनिकों में प्रतिवर्तित होने का आदेश दे सकेगा ।

(7) इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन होगा ।

21. जो व्यक्ति इस अधिनियम के अध्यधीन हैं उन्हें लागू होने में कतिपय मूल अधिकारों को उपान्तरित करने की शक्ति—वायु सेना या उसकी किसी शाखा से सम्बन्धित किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के—

(क) किसी व्यवसाय संघ या श्रमिक संघ के अथवा व्यवसाय या श्रमिक संघों के किसी वर्ग के, अथवा किसी सोसाइटी, संस्था, या संगम के, अथवा सोसाइटियों, संस्थाओं या संगमों के किसी वर्ग के सदस्य होने या उससे किसी भी रूप में सहयुक्त होने,

(ख) व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा किन्हीं राजनीतिक या अन्य प्रयोजनों के लिए संगठित किसी सभा में हाजिर होने या उसे सम्बोधित करने अथवा संगठित किसी प्रदर्शन में भाग लेने,

(ग) प्रेस से सम्पर्क करने या कोई पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज प्रकाशित करने या प्रकाशित कराने के अधिकार को, ऐसी रीति से और इतने विस्तार तक, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, निर्बन्धित करने वाले नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

22. निवृत्ति, निर्मुक्ति या उन्मोचन—इस अधिनियम के अध्यधीन किसी व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सेवा से निवृत्त, निर्मुक्त या उन्मोचित किया जा सकेगा ।

23. सेवा के पर्यवसान पर प्रमाणपत्र—हर वारण्ट आफिसर या अभ्यावेशित व्यक्ति को, जो सेवा से पदच्युत, उन्मोचित, निवृत्त या निर्मुक्त किया जाता है या हटाया जाता है, उसके कमान आफिसर द्वारा उस भाषा में, जो ऐसे व्यक्ति की मातृभाषा है और अंग्रेजी भाषा में भी, एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होंगे—

(क) उसकी सेवा का पर्यवसान करने वाला प्राधिकारी ;

(ख) ऐसे पर्यवसान का कारण, तथा

(ग) वायु सेना में उसकी सेवा की पूर्ण कालावधि ।

24. भारत से बाहर होने की स्थिति में उन्मोचन या पदच्युति—(1) इस अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित किया गया कोई भी व्यक्ति जो अपने अभ्यावेशन की शर्तों के अधीन उन्मोचित किए जाने का हकदार है या जिसका उन्मोचन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदिष्ट किया गया है और जो उन्मोचित किए जाने के लिए ऐसे हकदार या आदिष्ट होने के समय भारत के बाहर सेवा कर रहा है और भारत भेजे जाने की प्रार्थना करता है, उन्मोचित किए जाने के पहले सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से भारत भेज दिया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित किया गया कोई भी व्यक्ति, जो सेवा से पदच्युत किया जाता है और जो ऐसे पदच्युत किए जाने के समय भारत के बाहर सेवा कर रहा है, सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से भारत भेज दिया जाएगा ।

(3) जहां कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो उपधारा (2) में वर्णित है, किसी अन्य दण्ड के साथ-साथ पदच्युति से दण्डादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसा अन्य दण्ड अथवा निर्वासिन, कारावास या निरोध के दण्डादेश की दशा में, ऐसे दण्डादेश का कोई प्रभाग उसे भारत भेजे जाने से पहले भुगतवाया जा सकेगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "उन्मोचन" शब्द के अन्तर्गत "निर्मुक्ति" आएगी और "पदच्युति" शब्द के अन्तर्गत "हटाया जाना" आएगा ।

अध्याय 5

सेवा के विशेषाधिकार

25. वेतन में से केवल प्राधिकृत कटौतियां की जाएंगी—इस अधिनियम के अध्यधीन के हर व्यक्ति का वेतन जो किसी तत्समय प्रवृत्त विनियम के अधीन उसे उस रूप में शोध्य है, इस या किसी अन्य अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कटौतियों से भिन्न कोई कटौती किए बिना दिया जाएगा ।

26. व्यथित वायु सैनिकों को प्राप्त उपचार—(1) कोई भी वायु सैनिक, जो यह समझता है कि किसी वरिष्ठ या अन्य आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है, उस दशा में, जिसमें कि वह किसी यूनिट या टुकड़ी से संलग्न नहीं है, उस आफिसर से, जिसके समादेश या आदेशों के अधीन वह सेवा कर रहा है, परिवाद कर सकेगा और उस दशा में जिसमें वह किसी यूनिट या टुकड़ी से संलग्न है उसका समादेशन करने वाले आफिसर से परिवाद कर सकेगा ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) जबकि वह आफिसर, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, ऐसा आफिसर है जिससे कोई परिवाद उपधारा (1) के अधीन किया जाना चाहिए तब व्यथित वायु सैनिक उस आफिसर के अगले वरिष्ठ आफिसर से परिवाद कर सकेगा और यदि वह समझता है कि ऐसे वरिष्ठ आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है तो वह [1][वायु सेनाध्यक्ष] से परिवाद कर सकेगा ।

(3) हर आफिसर, जिसे ऐसा कोई परिवाद प्राप्त हो, परिवादी को पूरा प्रतितोष देने के लिए यावत्संभव पूर्ण अन्वेषण करेगा या जब आवश्यक हो परिवाद वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित कर देगा ।

(4) ऐसा हर परिवाद ऐसी रीति से किया जाएगा जो उचित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) [1][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी विनिश्चय को केन्द्रीय सरकार पुनरीक्षित कर सकेगी, किन्तु उसके अध्यधीन रहते हुए वायु सेनाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

27. व्यथित आफिसरों को प्राप्त उपचार—कोई आफिसर, जो यह समझता है कि उसके कमान आफिसर या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है जिसको अपने कमान आफिसर से सम्यक् आवेदन करने पर ऐसा प्रतितोष प्राप्त नहीं होता जिसका वह स्वयं को हकदार समझमा है, केन्द्रीय सरकार से ऐसी रीति से परिवाद कर सकेगा जो उचित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ।

28. कुर्की से उन्मुक्ति—इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के आयुधों, कपड़ों, उपस्कर, साजसमान या आवश्यक वस्तुओं का अभिग्रहण और ऐसे किसी व्यक्ति के वेतन और भत्तों की या उनके किसी भाग की कुर्की किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या किसी राजस्व आफिसर के निदेश द्वारा किसी ऐसी डिक्री या आदेश की तुष्टि में नहीं की जाएगी जो उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय हो ।

29. ऋण के लिए गिरफ्तारी से उन्मुक्ति—(1) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति ऋण के लिए तब तक जब तक वह बलों का अंग रहता है, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या राजस्व आफिसर के द्वारा या प्राधिकार से निकाली गई किसी आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

(2) ऐसे किसी न्यायालय का न्यायाधीश या उक्त आफिसर ऐसे व्यक्ति की इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल गिरफ्तारी के किसी ऐसे परिवाद की, जो उस व्यक्ति या उसके वरिष्ठ आफिसर द्वारा किया गया है, छानबीन कर सकेगा और उस व्यक्ति को स्वहस्ताक्षरित अधिपत्र द्वारा उन्मोचित कर सकेगा और परिवादी को युक्तियुक्त खर्चे अधिनिर्णीत कर सकेगा और परिवादी उस खर्चे को उसी रीति से वसूल कर सकेगा जिससे वह आदेशिका अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री द्वारा अपने को अधिनिर्णीत खर्चे वसूल करता ।

(3) ऐसे खर्चे की वसूली के लिए परिवादी द्वारा कोई भी न्यायालय-फीस देय न होगी ।

30. सेना-न्यायालय में हाजिर होने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी से उन्मुक्ति—(1) किसी भी सेना-न्यायालय का पीठासीन आफिसर या सदस्य, कोई भी जज एडवोकेट, सेना-न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही का कोई भी पक्षकार, या उसका कोई भी विधि व्यवसायी या अभिकर्ता, और किसी सेना-न्यायालय में हाजिर होने के समन के आज्ञानुवर्तन में कार्य करने वाला कोई भी साक्षी सेना-न्यायालय को जाने, उसमें हाजिर रहने या वहां से लौटने के दौरान सिविल या राजस्व आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन न होगा ।

(2) यदि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी किसी आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो वह सेना-न्यायालय के आदेश से उन्मोचित किया जा सकेगा ।

31. रिजर्विस्टों के विशेषाधिकार—हर व्यक्ति, जो [2][किसी वायु सेना रिजर्व या सहायक वायु सेना] का अंग है, तब जबकि वह प्रशिक्षण या सेवा के लिए आहूत किया गया हो या उसमें लगा हो या उससे लौट रहा हो, उन सब विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्ति को धारा 28 और 29 द्वारा दिए गए हैं ।

32. वायु सेना के कार्मिकों के मुकदमों के बारे में पूर्विकता—(1) इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के द्वारा या की ओर से उचित वायु सेना प्राधिकारी का यह प्रमाणपत्र किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित किए जाने पर कि उस न्यायालय में वाद या अन्य कार्यवाही चलाने या उसमें प्रतिरक्षा करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी उसे अनुदत्त की गई है या उसके द्वारा आवेदित है, न्यायालय उस व्यक्ति के आवेदन पर, यावत्संभव यह इन्तजाम करेगा कि उस वाद या अन्य कार्यवाही की सुनवाई या अन्तिम निपटारा ऐसे अनुदत्त या आवेदित छुट्टी की कालावधि के भीतर हो जाए ।

(2) उचित वायुसेना प्राधिकारी के प्रमाणपत्र में छुट्टी का या आशयित छुट्टी का प्रथम और अन्तिम दिन कथित होगा और उस मामले का वर्णन दिया गया होगा जिसके लिए छुट्टी अनुदत्त या आवेदित की गई है ।

(3) ऐसे किसी प्रामणपत्र के उपस्थान की बाबत या उसके मामले की सुनवाई को पूर्विकता दिए जाने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा या की ओर से किसी आवेदन की बाबत कोई भी फीस न्यायालय को देय न होगी ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1952 के अधिनियम सं० 62 की धारा 35 द्वारा "वायु सेना रिजर्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) जहां कि न्यायालय यह इन्तजाम करने में असमर्थ होता है कि वाद या अन्य कार्यवाही की सुनवाई और अन्तिम निपटारा यथापूर्वोक्त छुट्टी या आशयित छुट्टी की कालावधि के भीतर हो जाए वहां वह ऐसा न कर सकने के अपने कारणों को अभिलिखित कर देगा और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को उसके आवेदन पर प्रतिलिपि के आवेदन या स्वय प्रतिलिपि के लिए उसके द्वारा कोई भी संदाय किए गए बिना दिला देगा ।

(5) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए, जैसा पूर्वोक्त है, अर्हित उचित वायु सेना प्राधिकारी कौन है तो वह प्रश्न न्यायालय द्वारा तत्काल ऐसे आफिसर को, जो ग्रुप समादेशक से अन्यून शक्ति धारण करने वाला है, या समतुल्य समादेशक है, निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

33. अन्य विधियों के अधीन अधिकारों और विशेषाधिकारों की व्यावृत्ति—इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में विनिर्दिष्ट अधिकार और विशेषाधिकार उन अन्य अधिकारों और विशेषाधिकारों के अतिरिक्त होंगे, जो इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्तियों को, या साधारणतया नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रदत्त हों ।

अध्याय 6

अपराध

34. शत्रु से संबंधित अपराध जो मृत्यु से दण्डनीय है—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई भी व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई भी अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी गैरिजन, दुर्ग, पदस्थान, स्थान या गारद को, जो उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया है या जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है, लज्जास्पद रूप से परित्यक्त या समर्पित करेगा या उक्त कार्य करने के लिए किसी कमान आफिसर या अन्य व्यक्ति को विवश या उत्प्रेरित करने के लिए किन्हीं साधनों का उपयोग करेगा ; अथवा

(ख) सेना, नौसेना या वायु सेना विधि के अध्यधीन के किसी भी व्यक्ति को शत्रु के विरुद्ध कार्य करने से प्रवरित रहने के लिए विवश या उत्प्रेरित करने के लिए या ऐसे व्यक्ति को शत्रु के विरुद्ध कार्य करने से निरुत्साही करने के लिए किन्हीं साधनों का साशय उपयोग करेगा ; अथवा

(ग) शत्रु की उपस्थिति में अपने आयुधों, गोलाबारूद, औजारों या उपस्कर को लज्जास्पद रूप से संत्यक्त करेगा या ऐसी रीति से कदाचार करेगा जिससे कायरता दर्शित हो ; अथवा

(घ) विश्वासघातपूर्वक, शत्रु से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो संघ के विरुद्ध उद्यतायुध है वार्ताचार करेगा या उसको आसूचना देगा ; अथवा

(ङ) धन, आयुध, गोलाबारूद, सामान या प्रदाय से शत्रु की प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सहायता करेगा ; अथवा

(च) विश्वासघातपूर्वक या कायरता से शत्रु को अवहार-ध्वज भेजेगा ; अथवा

(छ) युद्ध काल में या किन्हीं वायु सेना संक्रियाओं के दौरान संघर्ष, कैम्प या क्वार्टरों में मिथ्या एलार्म साशय कारित करेगा या ऐसी रिपोर्ट जो एलार्म या नैराश्य पैदा करने के लिए प्रकल्पित हो, फैलाएगा ; अथवा

(ज) नियमित रूप से अवमुक्त हुए बिना या बिना छुट्टी अपने कमान आफिसर को या अपने पदस्थान, गारद, पिकेट, पैट्रोल या दल को संघर्ष के समय छोड़ेगा ; अथवा

(झ) युद्ध कैदी बनाए जाने पर स्वेच्छा से शत्रु पक्ष में सेवा करेगा या शत्रु की सहायता करेगा ; अथवा

(ञ) ऐसे शत्रु को, जो कैदी नहीं है, जानते हुए संश्रय देगा या उसका संरक्षण करेगा ; अथवा

(ट) युद्ध या एलार्म के समय सन्तरी होते हुए अपने पदस्थान पर सो जाएगा या नशे में होगा ; अथवा

(ठ) जानते हुए कोई ऐसा कार्य करेगा जो भारत के सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना बलों की या उनसे सहयोग करने वाले किन्हीं बलों की या ऐसे बलों के किसी भाग की सफलता को संकट में डालने के लिए प्रकल्पित हो ; अथवा

(ड) विश्वासघातपूर्वक या लज्जास्पद रूप से बलों के किसी वायुयान को शत्रु से पकड़वाएगा या नष्ट करवाएगा ; अथवा

(ढ) विश्वासघातपूर्वक किसी मिथ्या वायु सिग्नल का उपयोग करेगा या किसी वायु सिग्नल को परिवर्तित करेगा, या उसमें हस्तक्षेप करेगा ; अथवा

(ण) किन्हीं वायु सैनिकों की संक्रियाओं के क्रियान्वित करने के लिए अपने वरिष्ठ आफिसर द्वारा आदिष्ट या अन्यथा आदेशाधीन होने पर ऐसे आदेशों को क्रियान्वित करने में अपना भरसक प्रयास करने में विश्वासघातपूर्वक या लज्जास्पद रूप से असफल रहेगा ;

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर मृत्यु दण्ड या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

35. शत्रु से सम्बन्धित अपराध जो मृत्यु से दण्डनीय नहीं हैं—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) सम्यक् पूर्वावधानी के अभाव से या आदेशों की अवज्ञा या कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा के कारण कैदी बना लिया जाएगा या कैदी बना लिए जाने पर तब, जब वह अपनी सेवा पर वापस आ जाने में समर्थ है, ऐसा करने में असफल रहेगा ; अथवा

(ख) सम्यक् प्राधिकार के बिना शत्रु के साथ वार्ताचार करेगा या उसको आसूचना देगा या ऐसे किसी वार्ताचार या आसूचना का ज्ञान प्राप्त होने पर उसे तुरन्त अपने कमान आफिसर या अन्य वरिष्ठ आफिसर से प्रकट करने का जानबूझकर लोप करेगा ; अथवा

(ग) सम्यक् प्राधिकार के बिना शत्रु को अवहार-ध्वज भेजेगा ; अथवा

(घ) उपेक्षापूर्वक सरकार के किसी वायुयान को शत्रु से पकड़वाएगा या नष्ट करवाएगा ; अथवा

(ङ) आकाश में किन्हीं युद्ध-सदृश्य संक्रियाओं के क्रियान्वित करने के लिए अपने वरिष्ठ आफिसर द्वारा आदिष्ट या अन्यथा आदेशाधीन होने पर ऐसे आदेशों को क्रियान्वित करने में अपना भरसक प्रयास करने में उपेक्षापूर्वक या अन्य व्यतिक्रम के कारण असफल रहेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

36. अन्य समयों की अपेक्षा सक्रिय सेवा के समय अधिक कठोरता से दण्डनीय अपराध—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी संरक्षण गारद का अतिक्रमण करेगा या किसी सन्तरी का अतिक्रमण करेगा या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा ; अथवा

(ख) लूटपाट की तलाश में किसी गृह या अन्य स्थान में अनधिकृत प्रवेश करेगा ; अथवा

(ग) सन्तरी होते हुए अपने पदस्थान पर सो जाएगा या नशे में होगा ; अथवा

(घ) अपने वरिष्ठ आफिसर के आदेशों के बिना अपनी गारद, पिकेट, पेट्रोल या पदस्थान को छोड़ेगा ; अथवा

(ङ) कैम्प या क्वाटरों में मिथ्या एलार्म साशय या उपेक्षा से कारित करेगा या ऐसी रिपोर्ट, जो अनावश्यक एलार्म या नैराश्य पैदा करने के लिए प्रकल्पित हो, फैलाएगा ; अथवा

(च) पैरोल, संकेत-शब्द या प्रतिसंकेत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसे जानने का हकदार नहीं है, बताएगा, या जो पैराल, संकेत-शब्द या प्रतिसंकेत उसे बताया गया है उससे भिन्न पैरोल, संकेत-शब्द या प्रतिसंकेत जानते हुए देगा ; अथवा

(छ) किसी वायु सिग्नल को सम्यक् प्राधिकार के बिना परिवर्तित करेगा या उसमें हस्तक्षेप करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर,

उस दशा में, जिसमें कि ऐसा कोई अपराध वह तब करेगा जब वह सक्रिय सेवा पर है कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दण्ड जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा, तथा

उस दशा में जिसमें कि ऐसा कोई अपराध वह तब करेगा जब वह सक्रिय सेवा पर नहीं है कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

37. विद्रोह—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) भारत के सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना बलों में या उनसे सहयोग करने वाले किन्हीं बलों में विद्रोह आरम्भ करेगा, उद्दीप्त करेगा, कारित करेगा या कारित करने के लिए किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करेगा ; अथवा

(ख) ऐसे किसी विद्रोह में सम्मिलित होगा ; अथवा

(ग) ऐसे किसी विद्रोह में उपस्थित होते हुए उसे दबाने के लिए अपना अधितम प्रयास नहीं करेगा ; अथवा

(घ) यह जानते हुए या इस बात के विश्वास का कारण रखते हुए कि ऐसा कोई विद्रोह या ऐसा विद्रोह करने का आशय या ऐसा कोई षड्यंत्र अस्तित्व में है, उसकी इत्तिला अपने कमान आफिसर या अन्य वरिष्ठ आफिसर को अविलम्ब नहीं देगा ; अथवा

(ङ) भारत के सैनिक, नौसैनिक या वायुसेना बलों में के किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य से या संघ के प्रति उसकी राजनिष्ठा से विचलित करने का प्रयास करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर मृत्यु या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

38. अभित्यजन और अभित्यजन में सहायता करना—(1) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो सेवा का अभित्यजन करेगा या करने का प्रयत्न करेगा वह सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर—

उस दशा में, जिसमें कि ऐसा अपराध वह सक्रिय सेवा पर करेगा या तब करेगा जब वह सक्रिय सेवा पर जाने के आदेश की अधीन है मृत्यु या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ; तथा

उस दशा में, जिसमें ऐसा अपराध वह किन्हीं अन्य परिस्थितियों में करेगा कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

(2) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो जानते हुए ऐसे किसी अभित्याजक को संश्रय देगा, वह सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

(3) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के किसी अभित्यजन या अभित्यजन के प्रयत्न का संज्ञान रखते हुए तत्काल अपने स्वयं के या किसी अन्य वरिष्ठ आफ़िसर को सूचना नहीं देगा या ऐसे व्यक्ति को पकड़वाने के लिए अपनी शक्ति में की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

39. छुट्टी बिना अनुपस्थिति—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्, :—

(क) छुट्टी बिना अपने को अनुपस्थित करेगा ; अथवा

(ख) अपने को अनुदत्त छुट्टी के उपरान्त पर्याप्त हेतुक के बिना अनुपस्थित रहेगा ; अथवा

(ग) अनुपस्थिति छुट्टी पर होते हुए और उचित प्राधिकारी से यह इत्तिला मिलने पर कि कोई यूनिट या टुकड़ी, जिसका वह अंग है, सक्रिय सेवा पर जाने के लिए आदिष्ट हो गई है काम पर अविलम्ब वापस आने में पर्याप्त हेतुक के बिना असफ़ल रहेगा ; अथवा

(घ) परेड पर या कवायत या कर्तव्य के लिए नियुक्त स्थान पर नियत समय पर आने में पर्याप्त हेतुक के बिना असफ़ल रहेगा ; अथवा

(ङ) उस दौरान, जब वह परेड पर या प्रगमनपथ पर है, पर्याप्त हेतुक के बिना या अपने वरिष्ठ आफिसर से इज़ाजत लिए बिना परेड या प्रगमनपथ छोड़ेगा ; अथवा

(च) जब वह कैम्प में या अन्यत्र है, तब किसी साधारण, स्थानीय या अन्य आदेश द्वारा नियत किन्हीं परिसीमाओं के परे या प्रतिषिद्ध किसी स्थान में पास या अपने वरिष्ठ आफिसर की लिखित इज़ाजत के बिना पाया जाएगा ; अथवा

(छ) जबकि उसे किसी स्कूल में हाज़िर होने के लिए सम्यक् रूप से आदेश दिया गया है तब अपने वरिष्ठ आफिसर की इजाजत के बिना या सम्यक् हेतुक के बिना अपने को उससे अनुपस्थित रखेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

40. वरिष्ठ आफिसर पर आघात करना या उसे धमकी देना—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) अपने वरिष्ठ आफिसर पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा ; अथवा

(ख) ऐसे आफिसर के प्रति धमकी भरी भाषा का प्रयोग करेगा ; अथवा

(ग) ऐसे आफिसर के प्रति अनधीनता द्योतक भाषा का प्रयोग करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर—

उस दशा में जिसमें कि ऐसा आफिसर उस समय अपना पद-निष्पादन कर रहा है या उस दशा में, जिसमें कि अपराध सक्रिय सेवा पर किया जाता है, कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा, तथा

अन्य दशाओं में कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा :

परन्तु खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अपराध की दशा में कारावास पांच वर्ष से अधिक का नहीं होगा ।

41. वरिष्ठ आफिसर के प्रति अवज्ञा—(1) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो अपने वरिष्ठ आफिसर द्वारा अपने पद-निष्पादन में स्वयं दिए गए किसी विधिपूर्ण समादेश की, चाहे वह मौखिक रूप में या लिखकर या संकेत द्वारा या अन्यथा दिया गया हो, ऐसी रीति से अवज्ञा करेगा, जिससे प्राधिकार का जानबूझकर किया गया तिरस्कार, दर्शित होता हो, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

(2) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो अपने वरिष्ठ आफिसर द्वारा किए गए किसी विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करेगा सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर—

उस दशा में, जिसमें ऐसा अपराध वह तब करता है जब वह सक्रिय सेवा पर है कारवास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा, तथा

उस दशा में, जिसमें कि ऐसा अपराध वह तब करता है जब वह सक्रिय सेवा पर नहीं है कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

42. अनधीनता और बाधा—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी झगड़े, दंगे या उपद्रव से संपृक्त होते हुए किसी ऐसे आफिसर की, भले ही वह निम्नतर रैंक का हो, जो उसकी गिरफ्तारी का आदेश देता है, आज्ञा पालन से इंकार करेगा या ऐसे आफिसर पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा ; अथवा

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा जिसकी अभिरक्षा में उसे विधिपूर्वक रखा गया है चाहे वह व्यक्ति इस अधिनियम के अध्यधीन हो या न हो और चाहे वह उसका वरिष्ठ आफिसर हो या न हो; अथवा

(ग) ऐसे अनुरक्षक का प्रतिरोध करेगा जिसका कर्तव्य उसे पकड़ना या अपने भारसाधन में लेना है ; अथवा

(घ) बैरकों, कैम्प या क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से निकलेगा ; अथवा

(ङ) किसी साधारण स्थानीय या अन्य आदेश के पालन की उपेक्षा करेगा ; अथवा

(च) प्रोवो मार्शल के या उसकी ओर से विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के समक्ष अड़चन डालेगा, या प्रोवो मार्शल या उसकी ओर से विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के कर्तव्य निष्पादन में उसकी सहायता की अपेक्षा की जाने पर उससे इन्कार करेगा ; अथवा

(छ) किसी ऐसे व्यक्ति पर जो बल के लिए रसद या प्रदाय ला रहा हो आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, या हमला करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि उन अपराधों की दशा में, जो खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट है, दो वर्ष तक की और उन अपराधों की दशा में जो अन्य खण्डों में विनिर्दिष्ट है, दस वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

43. कपटपूर्ण अभ्यावेशन—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) वायु सेना से नियमित उन्मोचन अभिप्राप्त किए बिना या उन शर्तों को, जो उसे अभ्यावेशित या प्रविष्ट होने के लिए समर्थ करती है अन्यथा पूरी किए बिना उक्त बल में या भारत के सैनिक या नौसैनिक बल के किसी भाग में अभ्यावेशित या प्रविष्ट होगा ; अथवा

(ख) बल के किसी भाग में किसी व्यक्ति के अभ्यावेशन से, तब सम्पृक्त होगा जब वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में है कि अभ्यावेशित होने से वह इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध करता है,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

44. अभ्यावेशित किए जाने के समय मिथ्या उत्तर—कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्यधीन हो गया है और जिसके बारे में यह पता चलता है कि अभ्यावेशन के समय उसने विहित प्ररूप में उपवर्णित किसी ऐसे प्रश्न का, जो उसे उस अभ्यावेशन आफिसर द्वारा किया गया था जिसके समक्ष वह अभ्यावेशन के प्रयोजन के लिए उपसंजात हुआ था, जानबूझकर मिथ्या उत्तर दिया था, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

45. अशोभनीय आचरण—कोई भी आफिसर, या वारण्ट आफिसर, जो ऐसी रीति से व्यवहार करेगा जो उसके पद और उससे प्रत्याशित शील की दृष्टि से अशोभनीय है, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, यदि वह आफिसर है सकलंक पदच्युत किए जाने के दण्ड के दायित्व के, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा और यदि वह वारण्ट आफिसर है पदच्युत किए जाने के दायित्व के या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

46. कलंकास्पद आचरण के कतिपय प्रकार—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) क्रूर, अशिष्ट या अप्राकृतिक प्रकार के किसी कलंकास्पद आचरण का दोषी होगा; अथवा

(ख) कर्तव्य से बचने के लिए रोगी बन जाएगा या अपने में रोग या अंगशैथिल्य का ढोंग करेगा या अपने में उसे उत्पन्न करेगा या निरोग होने में साशय विलम्ब करेगा या अपने रोग या अंगशैथिल्य को गुरुतर बनाएगा ; अथवा

(ग) अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को सेवा के अयोग्य बनाने के आशय से अपने आप को या उस व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित करेगा,

सेवा-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

47. अधीनस्थ के साथ बुरा बर्ताव करना—कोई आफिसर, वारण्ट आफिसर या अनायुक्त आफिसर, जो किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो रैंक या पद में उसके नीचे का है, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या उसके साथ अन्यथा बुरा बर्ताव करेगा, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

48. मत्तता—(1) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो मत्तता की हालत में पाया जाता है, चाहे वह कर्तव्य पर हो या न हो, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर यदि वह आफिसर है सकलंक पदच्युत किए जाने का दण्ड या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है भोगने के दायित्व के अधीन होगा । और यदि वह आफिसर नहीं है तो उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

(2) जहां कि मत्तता में होने का अपराध आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा तब किया जाता है जब वह सक्रिय सेवा पर या कर्तव्य पर नहीं है, वहां अधिनिर्णित कारावास की कालावधि छह मास से अधिक की नहीं होगी ।

49. अभिरक्षा में से किसी व्यक्ति को निकल भागने देना—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्—

(क) उस दौरान, जब वह किसी गारद, पिकेट, पैट्रोल या चौकी का समादेशक है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया है, उचित प्राधिकार के बिना, चाहे जानबूझकर, चाहे युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना, निर्मुक्त करेगा या किसी कैदी या ऐसे सुपुर्द किए गए व्यक्ति को लेने से इन्कार करेगा ; अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जो उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया है या जिसे रखना या जिस पर पहरा रखना उसका कर्तव्य है जानबूझकर या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना निकल भागने देगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में, जिसमें उसने जानबूझकर कार्य किया है कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ; और उस दशा में, जिसमें उसने जानबूझकर कार्य नहीं किया है कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है , भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

50. गिरफ्तारी या परिरोध के सम्बन्ध में अनियमितता—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी गिरफ्तार या परिरुद्ध व्यक्ति को विचारण के लिए लाए बिना अनावश्यक रूप से निरुद्ध रखेगा या उसका मामला अन्वेषण के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष लाने में असफल रहेगा ; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को वायुसेना अभिरक्षा को सुपुर्द करके ऐसी सुपुर्दगी के समय या यथासाध्य शीघ्र और किसी भी दशा में तत्पश्चात् अड़तालीस घंटों के अन्दर उस आफिसर या अन्य व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया

व्यक्ति सुपुर्द किया गया है उस अपराध का जिसका कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर आरोप है लिखित और स्वहस्ताक्षरित वृत्तांत परिदत्त करने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहेगा;

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

51. अभिरक्षा से निकल भागना—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में होते हुए निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

52. सम्पत्ति के बारे में अपराध—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) सरकार की या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसेना मेस, बैंड, या संस्था की या सैनिक, नौसैनिक विधि के अध्यधीन के किसी व्यक्ति की किसी सम्पत्ति की चोरी करेगा ; अथवा

(ख) ऐसी किसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा ; अथवा

(ग) ऐसी किसी सम्पत्ति के बारे में आपराधिक न्यास भंग करेगा ; अथवा

(घ) ऐसी किसी सम्पत्ति को, जिसके बारे में खंड (क) और (ग) के अधीन अपराधों में से कोई अपराध किया गया है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा अपराध हुआ है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखे रखेगा ; अथवा

(ङ) सरकार की किसी सम्पत्ति को, जो उसे न्यस्त की हुई हो, जानबूझकर नष्ट करेगा या उसकी क्षति करेगा ; अथवा

(च) कपट वंचन करने के या एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई अन्य बात करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

53. उद्दापन और भ्रष्टाचार—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्—

(क) उद्दापन करेगा ; अथवा

(ख) उचित प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति से धन, रसद या सेवा का आहरण करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दण्ड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

54. उपस्कर को गायब कर देना—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्—

(क) किन्हीं आयुधों, गोलाबारूद, उपस्कर, उपकरणों, औजारों, कपड़ों या किसी अन्य वस्तु को, जो सरकार की सम्पत्ति होते हुए, उसे अपने उपयोग के लिए दी हुई हो या उसे नयस्त की हुई हो, गायब कर देगा या गायब करवा देने में सम्पृक्त होगा ; अथवा

(ख) खंड (क) में वर्णित किसी वस्तु को उपेक्षा से खो देगा ; अथवा

(ग) अपने को अनुदत्त किसी पदक या अलंकरण को बेचेगा, गिरवी रखेगा, नष्ट करेगा या विरूपित करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराधों की दशा में दस वर्ष तक की और अन्य खंडों में विनिर्दिष्ट अपराधों की दशा में पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

55. सम्पत्ति की क्षति—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 54 के खंड (क) में वर्णित कोई सम्पत्ति या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना बल के मेस, बैंड या संस्था की या सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना विधि के अध्यधीन के या वायु सेना में सेवा करने वाले या उससे संलग्न किसी व्यक्ति की कोई सम्पत्ति नष्ट करेगा, या उसे क्षति करेगा ; अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण अग्नि से सरकार की किसी सम्पत्ति को नुकसान होता है या उसका नाश होता है ; अथवा

(ग) अपने को न्यस्त किए हुए, किसी जीवजन्तु को मार देगा, क्षति करेगा, गायब कर देगा, या उससे बुरा बर्ताव करेगा या उसे खो देगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में, जिसमें उसने जानबूझकर ऐसा कार्य किया है कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा और उस दशा में जिसमें उसने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य किया है, कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

56. मिथ्या अभियोग—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मिथ्या अभियोग यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाएगा कि वह अभियोग मिथ्या है ; अथवा

(ख) धारा 26 या धारा 27 के अधीन कोई परिवाद करने में कोई ऐसा कथन, जो इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के शील पर आक्षेप करता है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि वह कथन मिथ्या है, अथवा किन्हीं तात्त्विक तथ्यों को जानते हुए और जानबूझकर दबा लेगा ;

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

57. शासकीय दस्तावेजों का मिथ्याकरण तथा मिथ्या घोषणा—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसी रिपोर्ट, विवरणी, सूची, प्रमाणपत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जो उसके द्वारा बनाई या हस्ताक्षरित की गई है या जिसकी विषय-वस्तु की यथार्थता का अभिनिश्चय करना उसका कर्तव्य है, कोई मिथ्या या कपटपूर्ण कथन जानते हुए करेगा या किए जाने में संसर्गी होगा ; अथवा

(ख) कपटवंवन करने के आशय से किसी ऐसी दस्तावेज में, जो खंड (क) में दिए गए वर्णन की है कोई लोप जानते हुए करेगा या लोप के किए जाने में संसर्गी होगा ; अथवा

(ग) जानते हुए और किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से या जानते हुए और कपटवंचन करने के आशय से किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसे परिरक्षित रखना या पेश करना उसका कर्तव्य है, दबा लेगा, विरूपित करेगा, परिवर्तित करेगा या गायब कर देगा ; अथवा

(घ) जहां कि किसी बात के बारे में घोषणा करना उसका पदीय कर्तव्य है, वहां जानते हुए मिथ्या घोषणा करेगा ; अथवा

(ङ) अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई पेंशन, भत्ता या अन्य फायदा या विशेषाधिकार ऐसे कथन से, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, अथवा किसी पुस्तक या अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करके या उसमें की मिथ्या प्रविष्टि का उपयोग करके, अथवा मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज बनाकर, अथवा कोई सही प्रविष्टि करने का या सत्य कथन अन्तर्विष्ट रखने वाली दस्तावेज बनाने का लोप करके, अभिप्राप्त करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

58. रिक्त स्थान छोड़कर हस्ताक्षर करना और रिपोर्ट देने में असफल रहना—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो निम्निलखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) वेतन, आयुध, गोलाबारूद, उपस्कर, कपड़े, प्रदाय या सामान से या सरकार की किसी सम्पत्ति से संबद्ध ऐसी किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय किसी तात्त्विक भाग को, जिसके लिए उसका हस्ताक्षर प्रमाणक है, कपटपूर्वक रिक्त छोड़ देगा ; अथवा

(ख) ऐसी रिपोर्ट या विवरणी देने या भेजने से, जिसका देना या भेजना उसका कर्तव्य है, इन्कार करेगा या वैसा करने का लोप आपराधिक उपेक्षा से करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

59. सेना-न्यायालयों से सम्बद्ध अपराध—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्—

(क) किसी सेना-न्यायालय के समक्ष साक्षी के तौर पर हाजिर होने के लिए सम्यक् रूप से समनित या आदिष्ट होने पर हाजिर होने में जानबूझकर या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना व्यतिक्रम करेगा ; अथवा

(ख) उस शपथ या प्रतिज्ञान को, जिसके लिए या किए जाने की अपेक्षा सेना-न्यायालय द्वारा वैध रूप से की गई हो, लेने या करने से इंकार करेगा ; अथवा

(ग) अपनी शक्ति या नियंत्रण में की किसी दस्तावेज को, जिसे उसके द्वारा पेश किए या परिदत्त किए जाने की अपेक्षा सेना-न्यायालय द्वारा वैध रूप से की गई हो, पेश या परिदत्त करने से इंकार करेगा ; अथवा

(घ) जबकि वह साक्षी है तब किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है ; अथवा

(ङ) अपमानकारी या धमकी भरी भाषा का प्रयोग करने के द्वारा या सेना-न्यायालय की कार्यवाहियों में कोई विघ्न या विक्षोभ कारित करने के द्वारा सेना-न्यायालय के अवमान का दोषी होगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

60. मिथ्या साक्ष्य—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो किसी सेना-न्यायालय या अन्य ऐसे अधिकरण के समक्ष जो शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम है, सम्यक् रूप से शपथ लेकर या प्रतिज्ञान करके कोई ऐसा कथन करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

61. वेतन का विधिविरुद्ध रोक रखना—कोई आफिसर, वारण्ट आफिसर या अनायुक्त आफिसर, जो इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति का वेतन प्राप्त करके, उसके योग्य होने पर उसे विधिविरुद्धतया रोक रखेगा या देने से इन्कार करेगा, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

62. वायुयान और उड़ान के सम्बन्ध में अपराध—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्—

(क) किसी वायुयान या वायुयान सामग्री को, जो सरकार की है, जानबूझकर या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना नुकसान करेगा, नष्ट करेगा या खो देगा ; अथवा

(ख) किसी ऐसे कार्य या उपेक्षा का दोषी होगा जिससे ऐसा नुकसान, नाश या खोना कारित होना संभाव्य है ; अथवा

(ग) किसी वायुयान या वायुयान सामग्री का, जो सरकार की है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना व्ययन करेगा ; अथवा

(घ) उड़ान में या किसी वायुयान का उपयोग करने में या किसी वायुयान या वायुयान सामग्री के संबंध में किसी ऐसे कार्य या उपेक्षा का दोषी होगा जिससे किसी व्यक्ति को जीवन हानि या शारीरिक क्षति कारित होती है या उसका कारित होना संभाव्य है ; अथवा

(ङ) युद्ध-स्थिति के दौरान सरकार के किसी वायुयान का, जानबूझकर और उचित कारण के बिना या उपेक्षापूर्वक, किसी तटस्थ राज्य के प्राधिकार से या के अधीन परिबद्धकरण या किसी तटस्थ राज्य में नाश कारित करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में जिसमें कि उसने जानबूझकर कार्य किया है, कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने, और किसी अन्य दशा में कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

63. वायुयान और उड़ान से संबंधित अन्य अपराध—इस अधिनियम के अधीन का कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्—

(क) किसी ऐसे वायुयान या वायुयान सामग्री के सम्बन्ध में जो सरकार की है कोई प्रमाणपत्र उसकी यथार्थता सुनिश्चित किए बिना हस्ताक्षरित करेगा ; अथवा

(ख) किसी ऐसे वायुयान का जो सरकार का है पाइलट होते हुए इतनी ऊंचाई से जितनी [1][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए कम ऊंचाई पर उड़ान तब के सिवाय करेगा जबकि वह जमीन से उड़ान कर रहा हो या उतर रहा हो या ऐसी परिस्थितियों में हो जो [1][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ; अथवा

(ग) किसी ऐसे वायुयान का जो सरकार का है पाइलट होते हुए उसे उड़ाएगा जिससे किसी व्यक्ति को अनावश्यक क्षोभ कारित हो या कारित होना सम्भाव्य हो,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

64. वायुयान के कैप्टेन के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई भी व्यक्ति उसका रैंक चाहे कोई भी हो, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्—

(क) जब वह किसी वायुयान में है तब उस वायुयान के उड़ाने या हथलाने से सम्बन्धित या उसके क्षेम पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों के बारे में उस वायुयान के कैप्टेन द्वारा, चाहे ऐसा कैप्टेन इस अधिनियम के अध्यधीन हो या दिए गए न हो, किए विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करेगा ; अथवा

(ख) ऐसे ग्लाइडर वायुयान का जो दूसरे वायुयान द्वारा, अनुकर्षित किया जा रहा हो, कैप्टैन होते हुए उपरोक्त सब बातों के सम्बन्ध में अनुकर्षक वायुयान के कैप्टेन द्वारा, चाहे पश्चात्कथित कैप्टेन इस अधिनियम के अध्यधीन हो या न हो, दिए गए किसी विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

65. अच्छी व्यवस्था का और वायु सेना अनुशासन का अतिक्रमण—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे कार्य या लोप का दोषी है जो यद्यपि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं है तथापि अच्छी व्यवस्था और वायुसेना अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

66. प्रकीर्ण अपराध—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई भी अपराध करेगा, अर्थात्—

(क) किसी चौकी पर या प्रगमन पर समादेशन करते हुए यह परिवाद प्राप्त होने पर कि उसके समादेश के अधीन के किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पीटा है या उसके साथ अन्यथा बुरा बर्ताव किया है या उसे सताया है या किसी मेले या बाजार में विघ्न डाला है या कोई बलवा या अतिचार किया है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति की सम्यक् हानिपूर्ति कराने या मामले की रिपोर्ट उचित प्राधिकारी से करने में असफल रहेगा ; अथवा

(ख) पूजा के किसी स्थान को अपवित्र करके या अन्यथा किसी व्यक्ति के धर्म का साशय अपमान करेगा, या उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा ; अथवा

(ग) आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के किए जाने की दिशा में कोई कार्य करेगा ; अथवा

(घ) वारण्ट आफिसर के रैंक से नीचे का होते हुए, तब जब वह कर्तव्य पर न हो, उचित प्राधिकार के बिना कैम्प या छावनियों में या के आसपास या किसी नगर या बाजार में या के आसपास या किसी नगर या बाजार को जाते हुए या उससे वापस आते हुए, किसी राइफल, तलवार या अन्य आक्रामक आयुध सहित जाएगा ; अथवा

(ङ) किसी व्यक्ति के अभ्यावेशन या सेवा में किसी व्यक्ति के लिए अनुपस्थिति छुट्टी, प्रोन्नति या कोई अन्य फायदा या अनुग्रह उपाप्त कराने के लिए हेतु या इनाम के रूप में कोई परितोषण अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा ; अथवा

(च) जिस देश में वह सेवा कर रहा है उसके किसी वासी या उसके निवासी की सम्पत्ति या उसके शरीर के विरुद्ध कोई अपराध करेगा,

सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

67. प्रयत्न—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो 34 से 66 तक की धाराओं में (जिनके अन्तर्गत दोनों धाराएं आती हैं) विनिर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में, जिसमें कि ऐसा प्रयत्न दंडित करने के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है।

तब जबकि किए जाने के लिए प्रयतित अपराध मृत्यु से दंडनीय है, कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी या, ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ; तथा

तब जबकि किए जाने के लिए प्रयतित अपराध कारावास से दंडनीय है, कारावास, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि की आधी तक हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

68. किए गए अपराधों का दुष्प्रेरण—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो 34 से 66 तक की धाराओं में (जिनके अन्तर्गत दोनों धाराएं आती हैं) विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर उस दशा में, जिसमें कि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया है और इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध ऐसे दुष्प्रेरण को दंडित करने के लिए नहीं किया गया है उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

69. मृत्यु से दण्डनीय उन अपराधों का दुष्प्रेरण जो किए न गए हों—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो उन अपराधों में से किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा जो धारा 34, 37 और धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन मृत्यु से दंडनीय है, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में, जिसमें कि वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है और इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध ऐसे दुष्प्रेरण को दंडित करने के लिए नहीं किया गया है कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड जो, इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

70. कारावास से दण्डनीय उन अपराधों का दुष्प्रेरण जो किए न गए हों—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो उन अपराधों में से किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा जो 34 से 66 तक की धाराओं में (जिनके अंतर्गत यह दोनों धाराएं आती हैं) विनिर्दिष्ट है और कारावास से दंडनीय है, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में, जिसमें कि वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है और इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध ऐसे दुष्प्रेरण को दंडित करने के लिए नहीं किया गया है कारावास, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि की आधी तक हो सकेगी, या ऐसे लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित हैं, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

71. सिविल अपराध—धारा 72 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अध्यधीन का काई व्यक्ति, जो भारत में या भारत से परे किसी स्थान में सिविल अपराध करेगा, इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी समझा जाएगा और यदि वह अपराध इस धारा के अधीन उस पर "आरोपित" किया जाए तो वह सेना-न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के दायित्व के अधीन होगा और दोषसिद्धि पर निम्निलखित रूप से दंडनीय होगा, अर्थात्—

(क) यदि अपराध ऐसा है तो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मृत्यु से या निर्वासन से दंडनीय है तो वह कोड़े लगाने के दंड से भिन्न कोई दंड, जो उस अपराध के लिए पूर्वोक्त विधि द्वारा समनुदिष्ट है और ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा, तथा

(ख) अन्य किसी दशा में वह कोड़े लगाने से भिन्न कोई दंड, जो भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा उस अपराध के लिए समनुदिष्ट है या कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

72. सिविल अपराध जो सेना-न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना विधि के अध्यधीन नहीं है, हत्या का, या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का या ऐसे व्यक्ति से बलात्संग करने का अपराध करेगा इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी तब के सिवाय न समझा जाएगा और सेना-न्यायालय द्वारा उसका विचारण तब के सिवाय नहीं किया जाएगा जबकि वह उक्त अपराधों में से कोई अपराध—

(क) सक्रिय सेवा पर रहते समय करता है, अथवा

(ख) भारत के बाहर किसी स्थान पर करता है, अथवा

(ग) ऐसी सीमांत चौकी पर करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।

[1]* * * *

अध्याय 7

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा स्पष्टीकरण का लोप किया गया।

दण्ड

73. सेना-न्यायालय द्वारा अधिनिर्णेय दण्ड—इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्तियों द्वारा, जो सेना-न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराए गए हैं, किए गए अपराधों के बारे में दण्ड निम्नलिखित मापमान के अनुसार दिए जा सकेंगे, अर्थात्, :—

(क) मृत्यु ;

(ख) सिविल अपराधों के संबंध में आजीवन या सात वर्ष से अन्यून की किसी कालावधि के लिए निर्वासन ;

(ग) चौदह वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि के लिए कठिन या सादा कारावास ;

(घ) वायु सैनिकों की दशा में दो वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निरोध ;

(ङ) आफिसरों की दशा में सकलंक पदच्युत किया जाना

(च) सेवा से पदच्युति ;

(छ) वारण्ट आफिसरों और अनायुक्त आफिसरों की दशा में सामान्य सैनिकों में या निम्नतर रैंक या वर्ग में अवनत कर देना :

परन्तु सामान्य सैनिकों में अवनत किए गए वारण्ट आफिसर से सामान्य सैनिकों में वायु सैनिक के रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

(ज) आफिसरों, वारण्ट आफिसरों और अनायुक्त आफिसरों की दशा में रैंक की ज्येष्ठता का समपहरण तथा उनमें से किसी ऐसे की दशा में, जिसकी प्रोन्नति सेवाकाल की लंबाई पर निर्भर है उसके सेवाकाल का इसलिए पूर्णत: या भागत: समपहरण कि वह प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए न गिना जाए ;

(झ) सेवाकाल का इसलिए समपहरण कि यह वेतन-वृद्धि, पेंशन या किसी अन्य विहित प्रयोजन के लिए न गिना जाए ;

(ञ) आफिसरों, वारण्ट आफिसरों और अनायुक्त आफिसरों की दशा में तीव्र धिग्दण्ड या धिग्दण्ड ;

(ट) सक्रिय सेवा के दौरान किए गए किसी अपराध के लिए तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए वेतन और भत्तों का समपहरण ;

(ठ) सकलंक पदच्युत किए जाने से या सेवा से पदच्युति से दण्डित व्यक्ति की दशा में वेतन और भत्तों के उन सब बकायों और अन्य लोक धन का समपहरण, जो ऐसे सकलंक पदच्युत किए जाने के या ऐसी पदच्युति के समय उसको शोध्य हों ;

(ड) वेतन और भत्तों और भत्तों का तब तक के लिए रोक दिया जाना जब तक उस साबित हुई हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति न हो जाए जो उस अपराध के कारण हुआ है, वह जिसका वह सिद्धदोष ठहराया गया है ।

74. सेना-न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत आनुकल्पिक दण्ड—इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि सेना-न्यायालय इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्ति को, धाराओं 34 से 70 तक में, जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं, विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी का सिद्धदोष ठहराने पर, या तो वह विशिष्ट दंड, जिससे उक्त धाराओं में वह अपराध दण्डनीय कथित है, या उसके बदले में धारा 73 में दिए गए मापमान में के दण्डों में से कोई निम्नतर दंड अपराध की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

75. दण्डों का संयोजन—सेना-न्यायालय का दंडादेश, किसी एक अन्य दण्ड के अतिरिक्त या बिना, धारा 73 के खंड (ङ) या खंड (च) में विनिर्दिष्ट दण्ड और उस धारा के खण्ड (छ) से (ड) तक में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई एक या अधिक दण्ड अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

76. आफिसरों का सकलंक पदच्युत किया जाना—किसी आफिसर को धारा 73 के खण्डों (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट दंडों में से कोई दण्ड अधिनिर्णीत किए जाने के पहले सकलंक पदच्युत किए जाने का दंडादेश दिया जाएगा ।

77. फील्ड दण्ड—(1) जहां कि इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति जो वारण्ट आफिसर से नीचे के रैंक का है, सक्रिय सेवा के दौरान कोई अपराध करेगा वहां सेना-न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस अपराध के लिए कोई ऐसा दण्ड अधिनिर्णीत करे जो फील्ड दंड के रूप में विहित है ।

(2) फील्ड दंड वैयक्तिक अवरोध की या कठोर श्रम की प्रकृति का होगा किन्तु इस प्रकृति का नहीं होगा जिससे जीवन या अंग को क्षति कारित हो और पीटना उसके अन्तर्गत नहीं आएगा ।

78. दण्डों के मापमान में फील्ड दण्ड की स्थिति—लघुकरण के प्रयोजन के लिए फील्ड दंड की बाबत यह समझा जाएगा कि वह धारा 73 में विनिर्दिष्ट दंडों के मापमान में पदच्युति से ठीक नीचे का है ।

79. वारण्ट आफिसर या अनायुक्त आफिसर की दशा में कतिपय दण्डों का परिणाम—ऐसा वारण्ट आफिसर, या अनायुक्त आफिसर जिसे सेना-न्यायालय द्वारा निर्वासन, कारावास, निरोध, फील्ड दंड या सेवा से पदच्युति का दण्डादेश दिया गया है सामान्य सैनिकों में अवनत कर दिया गया समझा जाएगा ।

80. सक्रिय सेवा पर दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति का सामान्य सैनिकों में प्रतिधारण—जबकि किसी अभ्यावेशित व्यक्ति को उस समय के दोरान, जब वह सक्रिय सेवा पर है, सेना-न्यायालय द्वारा पदच्युति का या पदच्युति सहित या रहित निर्वासन, कारावास या निरोध का दण्डादेश दिया गया है, तब विहित आफ़िसर निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को सामान्य सैनिकों में सेवा करने के लिए प्रतिधृत रखा जाए और ऐसी सेवा उसकी निर्वासन कारावास या निरोध की, यदि कोई हो, अवधि के भाग के रूप में गिनी जाएगी ।

81. सेना-न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने से अन्यथा दण्डित किया जाना—इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में दंड सेना-न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना और धाराओं 82 और 86 में कथित रीति से भी दिए जा सकेंगे ।

82. आफिसरों और वारण्ट आफिसरों से भिन्न व्यक्तियों का दण्डित किया जाना—धारा 84 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कमान आफ़िसर या ऐसा अन्य आफ़िसर जिसे [1][वायु सेनाध्यक्ष] ने केन्द्रीय सरकार की सम्मति से विनिर्दिष्ट किया है, इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो आफिसर या वारण्ट आफिसर के रूप से अन्यथा इस अधिनियम के अध्यधीन है और जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, विहित रीति से कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दंडों में से एक या अधिक दंड विहित विस्तार तक अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) अट्ठाईस दिन तक का निरोध ;

(ख) चौदह दिन तक का कैम्प में परिरोध ;

(ग) अतिरिक्त पहरा या ड्यूटी जिनकी संख्या तीन से अधिक न हो ;

(घ) कार्यकारी रैंक से वंचित करना ;

(ङ) बैज वेतन का समपहरण ;

(च) तीव्र धिग्दण्ड या धिग्दण्ड ;

(छ) किसी एक मास मे चौदह दिन के वेतन तक का जुर्माना ;

(ज) धारा 92 के खंड (छ) के अधीन शास्तिक कटौतियां ;

(झ) भर्त्सना ;

(ञ) सक्रिय सेवा पर के किसी व्यक्ति के मामले में अट्ठाईस दिन तक के लिए विहित फील्ड दंड ।

83. कतिपय दशाओं में मंजूरी की अपेक्षा—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि धाराओं 34, 35 और 36 में से किसी के अधीन के किसी अपराध के संबंध में, उस दशा में जिससे कि वह सक्रिय सेवा पर किया गया है या धाराओं 37, 38, 40, 42(च) और (छ), 43, 47, 52, 60, 62, 63, 64, 66(क), (ख) और (ग) तथा 71 में से किसी के अधीन के अपराध के संबंध में वे दंड, जो धारा 82 में वर्णित हैं, ऐसे आफिसर की, जो डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय संयोजित करने की शक्ति रखता हो, लिखित पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं दिए जाएंगे ।

(2) उक्त दंड योधकों के रूप में अभ्यावेशित न किए गए व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे किसी अपराध के संबंध में जो धारा 34 या धारा 71 के अधीन के अपराध से भिन्न हैं, ऐसी मंजूरी के बिना अधिनिर्णीत किए जा सकेंगे ।

84. धारा 82 के अधीन दण्डों की परिसीमा—(1) धारा 82 के अधीन के दण्ड के अधिनिर्णय में उस धारा के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट दंडों में से एक या अधिक दण्डों के साथ फील्ड दण्ड शामिल न किया जाएगा ।

(2) उक्त धारा के खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट दण्डों में से दो या अधिक के अधिनिर्णयन की दशा में खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट दंड, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दंड के खत्म होने पर ही प्रभावशील होगा ।

(3) जबकि किसी व्यक्ति को उक्त खंडों (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट दण्डों में से दो या अधिक दण्ड संयुक्तत: अधिनिर्णीत किए गए हैं या तब अधिनिर्णीत किए गए हैं जब वह उक्त दण्डों में से एक या अधिक पहले से ही भोग रहा है, तब उन दंडों का सम्पूर्ण विस्तार कुल मिलाकर बयालीस दिन से अधिक नहीं होगा ।

(4) धारा 82 के खंडों (क), (ख), (ग), (ङ), (छ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट दंड किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीत नहीं किए जाएंगे जो अनायुक्त आफिसर के रैंक का है या जो उस अपराध को करते समय जिसके लिए उसे दंडित किया जाता है, ऐसे रैंक का था ।

(5) उक्त धारा के खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट दंड अनायुक्त आफिसर के रैंक के नीचे के किसी व्यक्ति को अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा “कमांडर-इन-चीफ” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

85. धारा 82 में विनिर्दिष्ट दण्डों के अतिरिक्त दण्ड—[1][वायु सेनाध्यक्ष] केन्द्रीय सरकार की सम्मति से ऐसे अन्य दण्ड जो धारा 82 में विनिर्दिष्ट दण्डों में से किसी के अतिरिक्त या बिना उक्त धारा के अधीन अधिनिर्णीत किए जा सकेंगे और वह विस्तार, जिस तक ऐसे अन्य दंड अधिनिर्णीत किए जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

86. आफिसरों और वारण्ट आफिसरों का दण्डित किया जाना—जनरल सेना-न्यायालय संयोजित करने की शक्ति रखने वाला आफिसर या अन्य ऐसा आफिसर जिसे [1][वायु सेनाध्यक्ष] ने केन्द्रीय सरकार की सम्मति से विनिर्दिष्ट किया है स्कवाड्रन लीडर से नीचे के रैंक के ऐसे आफिसर या ऐसे वारण्ट आफिसर के विरुद्ध जिस पर इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का आरोप है, विहित रीति से कार्यवाही कर सकेगा और निम्नलिखित दण्डों में से एक अधिक दण्ड अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) ज्येष्ठता का समहरण या उनमें से किसी ऐसे की दशा में जिसकी प्रोन्नति सेवाकाल की लम्बाई पर निर्भर है, बारह मास से अनधिक की कालावधि के सेवाकाल का इसलिए समपहरण कि वह प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए न गिना जाए ;

(ख) तीव्र धिग्दण्ड या धिग्दण्ड ;

(ग) वेतन और भत्ते का तब तक के लिए रोक दिया जाना जब तक उस साबित हुई हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति न हो जाए जो उस अपराध के कारण हुआ है जिसका वहा सिद्धदोष ठहराया गया है किन्तु यह अभियुक्त के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अधिकार के अध्यधीन होगा ;

(घ) धारा 42 के खण्ड (ङ) के अधीन के अपराध के लिए वहां तक जहां तक कि वह उड़ान के आदेशों का पालन करने में उपेक्षा का अपराध है या धारा 62 या धारा 63 के अधीन के अपराध के लिए तीन मास से अनधिक की कालावधि के वेतन और भत्तों का समपहरण ।

87. कार्यवाही का पारेषण—हर ऐसे मामले में जिसमें दंड धारा 86 के अधीन अधिनिर्णीत किया गया है, कार्यवाही की प्रमाणित शुद्ध प्रतियां दण्ड अधिनिर्णीत करने वाले आफिसर द्वारा धारा 89 में यथापरिभाषित वरिष्ठ वायुसेना प्राधिकारी को विहित रीति से भेजी जाएगी ।

88. कार्यवाही का पुनर्विलोकन—यदि धारा 86 के अधीन अधिनिर्णीत कोई दंड धारा 89 में यथापरिभाषित वरिष्ठ वायु सेना प्राधिकारी को अवैध, अन्यायपूर्ण या अत्यधिक प्रतीत होता है वह प्राधिकारी दंड को रद्द कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसका परिहार कर सकेगा और ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा जो उस मामले की परिस्थितियों में समुचित हो ।

89. वरिष्ठ वायु सेना प्राधिकारी—धाराओं 87 और 88 के प्रयोजन के लिए, "वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी" से अभिप्रेत है—

(क) कमान आफिसर द्वारा अधिनिर्णीत दंडों की दशा में कोई ऐसा आफिसर जो ऐसे कमान आफिसर से समादेश में वरिष्ठ हो,

(ख) किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत दंडों की दशा में, केन्द्रीय सरकार, [1][वायु सेनाध्यक्ष] अथवा [1][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य आफिसर ।

90. सामूहिक जुर्माने—(1) जब कभी कोई शस्त्र या शस्त्र का भाग, जो किसी यूनिट या टुकड़ी के उपस्कर का भाग है, खो जाता है, या चोरी हो जाता है, तब उस यूनिट या टुकड़ी का समादेशन करने वाला आफिसर जांच अधिकरण की रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी यूनिट के वारन्ट आफिसरों, अनायुक्त आफिसरों और जवानों पर या उतनों पर जितने उसके निर्णय में ऐसे खो जाने, या चोरी के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने चाहिएं, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) ऐसा जुर्माना, उन व्यक्तियों के, जिन पर वह पड़ता है, वेतन पर प्रतिशतता के रूप में निर्धारित किया जाएगा ।

अध्याय 8

शास्तिक कटौतियां

91. आफिसरों के वेतन और भत्तों में से कटौतियां—किसी भी आफिसर के वेतन और भत्तों में से निम्नलिखित शास्तिक कटौतियां की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) उस हर दिन के लिए, जिस दिन वह छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है, आफिसर को शोध्य सभी वेतन और भत्ते तब के सिवाय, जबकि उसके कमान आफिसर को समाधानप्रद स्पष्टीकरण दे दिया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ;

(ख) हर ऐसे दिन के सभी वेतन और भत्तों, जब वह किसी ऐसे अपराध के आरोप पर अभिरक्षाधीन या कर्तव्य से निलंबित रहा है जिस अपराध के लिए वह तत्पश्चात् किसी दंड न्यायालय या सेना-न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो धारा 86 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, दोषसिद्ध किया जाता है ;

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के उस वेतन की, जो उसने विधिविरुद्ध रूप से प्रतिधृत कर रखा है या जिसे देने से उसने विधिविरुद्ध रूप से इन्कार कर दिया है, प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित कोई राशि ;

(घ) किसी अपराध के किए जाने से हुए किन्हीं व्ययों, हानि, नुकसान या नाश के लिए ऐसे प्रतिकर की, जो उस सेना-न्यायालय द्वारा, जिसके द्वारा वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, या किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो धारा 86 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, अवधारित किया जाए, प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित कोई राशि ;

(ङ) वे सब वेतन और भत्ते जिनके समपहरण या रोक दिए जाने का आदेश किसी सेना-न्यायालय या किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो धारा 86 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, दिया गया हो ;

(च) किसी दंड न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे सेना-न्यायालय द्वारा जो धारा 71 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है अधिनिर्णीत जुर्माने के संदाय के लिए अपेक्षित कोई राशि ;

(छ) लोक-सम्पत्ति या सेवा-सम्पत्ति की किसी ऐसी हानि, नुकसान या नाश की, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार को सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि वह उस आफिसर के सदोष कार्य से या उपेक्षा से घटित हुआ है, प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित कोई राशि ;

(ज) केन्द्रीय सरकार के आदेश से समपहृत सब वेतन और भत्ते, यदि [1][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा उस निमित्त गठित जांच अधिकरण का यह निष्कर्ष है कि वह आफिसर शत्रु से जा मिला था या जब वह शत्रु के हाथ में था या तब उसने शत्रु की ओर से या शत्रु के आदेशों के अधीन सेवा की थी या उसने किसी रीति से शत्रु की सहायता की थी या सम्यक् पूर्वावधानी न बरत कर या आदेशों की अवज्ञा या कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा द्वारा उसने स्वयं को शत्रु द्वारा कैदी बना लिया जाने दिया था या शत्रु द्वारा कैदी बना लिए जाने पर तब जब उसके लिए अपनी सेवा पर वापस आ जाना सम्भव था, वह ऐसा करने मे असफल रहा था ;

(झ) केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या उसकी धर्मज या अधर्मज सन्तान के भरण-पोषण के लिए दिए जाने के लिए या उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या सन्तान को दी गई सहायता के खर्चे के निमित्त दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई राशि ।

92. वायुसैनिकों के वेतन और भत्तों में से कटौतियां—धारा 95 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि किसी भी वायुसैनिक के वेतन और भत्तों में से निम्नलिखित शास्तिक कटौतियां की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) अभित्यजन पर या छुट्टी बिना या युद्ध-कैदी होने के कारण अनुपस्थिति के हर दिन के लिए और किसी भी दण्ड-न्यायालय या सेना-न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत निर्वासन या कारावास के अथवा सेना-न्यायालय या किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो धारा 82 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, अधिनिर्णीत निरोध या फील्ड दण्ड के हर दिन के लिए सब वेतन और भत्ते ;

(ख) हर ऐसे दिन के लिए सब वेतन और भत्ते जब वह किसी ऐसे अपराध के आरोप पर जिसके लिए वह तत्पश्चात् किसी दण्ड-न्यायालय द्वारा या सेना-न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है या छुट्टी-बिना ऐसी अनुपस्थिति के आरोप पर जिसके लिए तत्पश्चात् उसे किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो धारा 82 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, निरोध या फील्ड दण्ड अधिनिर्णीत किया जाता है ; अभिरक्षा में रहा है ;

(ग) हर ऐसे दिन के लिए सब वेतन और भत्ते जब वह ऐसी रुग्णता के कारण अस्पताल में रहा है, जिसकी बाबत उसकी परिचर्या करने वाले चिकित्सा आफिसर द्वारा यह प्रमाणपत्र दिया गया है कि वह उसके द्वारा किए गए इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध से कारित हुई है ;

(घ) हर ऐसे दिन के लिए, जब वह ऐसी रुग्णता के कारण अस्पताल में रहा है जिसकी बाबत उसकी परिचर्या करने वाले चिकित्सा आफिसर द्वारा हर प्रमाणपत्र दिया गया है कि वह उसके अपने अवचार या प्रज्ञाहीनता से कारित हुई है, उतनी राशि जितनी केन्द्रीय सरकार के या ऐसे आफिसर के, जो उस सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(ङ) वे सब वेतन और भत्ते जिनके समपहरण या रोक दिए जाने का आदेश किसी सेना-न्यायालय या किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो धारा 82 या धारा 86 के अधीन अधिकार का प्रयोग कर रहा है, दिया गया है ;

(च) शत्रु से उसका उद्धार किए जाने के और सेवा से उसकी ऐसी पदच्युति के, जो शत्रु द्वारा उसके कैदी बनाए जाने के समय के या शत्रु के हाथ में उसके होने के दौरान के उसके आचरण के परिणामस्वरूप हुई है, बीच के हर दिन के सब वेतन और भत्ते ;

(छ) केन्द्रीय सरकार को या किसी निर्माण या सम्पत्ति की उसके द्वारा कारित व्ययों, हानि, नुकसान या नाश के लिए ऐसे प्रतिकर की जो उसके कमान आफिसर द्वारा अधिनिर्णीत की जाए, प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित कोई राशि ;

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ज) किसी दंड-न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे सेना-न्यायालय द्वारा, जो धारा 71 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है सेना-न्यायालय या किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो धारा 82 या धारा 90 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है अधिनिर्णीत जुर्माने के संदाय के लिए अपेक्षित कोई राशि ;

(झ) केन्द्रीय सरकार या किसी विहित आफिसर के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या उसकी धर्मज या अधर्मज सन्तान के भरण-पोषण के लिए दिए जाने के लिए उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या संतान को दी गई सहायता के खर्च के निमित्त दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई राशि ।

93. अनुपस्थिति या अभिरक्षा के समय की संगणना—धारा 92 के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी भी व्यक्ति को एक दिन के लिए अनुपस्थिति या अभिरक्षा में तब तक नहीं माना जाएगा तब तक कि अनुपस्थिति या अभिरक्षा, चाहे पूर्णत: एक दिन में या भागत: एक दिन में और भागत: किसी अन्य दिन में, लगातार छह या अधिक घण्टों तक न रही हो,

(ख) एक दिन से कम की अनुपस्थिति या अभिरक्षा को एक दिन की अनुपस्थिति या अभिरक्षा गिना जा सकेगा यदि ऐसी अनुपस्थिति या अभिरक्षा ने उस अनुपस्थित व्यक्ति को किसी वायु सेना कर्तव्य की पूर्ति करने से निवारित किया है जो उस कारण किसी अन्य व्यक्ति पर डाला गया है,

(ग) लगातार बारह या अधिक घण्टों की अनुपस्थिति या अभिरक्षा को उस हर एक पूरे दिन की अनुपस्थिति या अभिरक्षा गिना जा सकेगा जिसके किसी प्रभाग के दौरान वह व्यक्ति अनुपस्थित था या अभिरक्षा में रहा था,

(घ) अनुपस्थिति या कारावास की कालावधि को जो मध्यरात्रि के पूर्व प्रारम्भ और पश्चात् समाप्त हो एक दिन गिना जा सकेगा ।

94. विचारण के दौरान वेतन और भत्ते—इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी अपराध के आरोप पर अभिरक्षा में है या कर्तव्य से निलम्बित है विहित आफिसर निदेश दे सकेगा कि धाराओं 91 और 92 के खंड (ख) के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पूरे वेतन और भत्ते या उनका कोई भाग उस आरोप के, जो उसके विरुद्ध है, विचारण का परिणाम लम्बित रहने तक विधारित रखे जाएं ।

95. कतिपय कटौतियों की परिसीमा—किसी व्यक्ति के वेतन और भत्तों में से धारा 92 के खंडों (ङ) और (छ) से (झ) तक के अधीन की गई कुल कटौतियां तब के सिवाय, जबकि वह पदच्युति से दण्डादिष्ट किया गया हो, किसी एक मास में उसके उस मास के वेतन और भत्तों के आधे से अधिक नहीं होगी ।

96. किसी व्यक्ति को शोध्य लोक धन में से कटौती—किसी व्यक्ति के वेतन और भत्तों में से काटी जाने के लिए इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई राशि, उसे वसूल करने के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पेंशन से भिन्न किसी ऐसे लोक-धन में से काटी जा सकेगी जो उसे शोध्य है ।

97. युद्ध कैदी के आचरण की जांच के दौरान उसके वेतन और भत्ते—जहां कि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति के उस समय के आचरण की जांच, जबकि वह शत्रु द्वारा कैदी बनाया जा रहा था या जबकि वह शत्रु के हाथों में था, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन की जानी है, वहां [1][वायु सेनाध्यक्ष] या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई आफिसर आदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति के पूरे वेतन और भत्ते या उनका कोई भाग उस जांच का परिमाण लम्बित रहने तक विधारित रखे जाएं ।

98. कटौतियों का परिहार—वेतन और भत्तों में से इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती का परिहार ऐसी रीति से और इतने विस्तार तक तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो समय-समय पर विहित किया जाए ।

99. परिहारित कटौतियों में से युद्ध कैदी के आश्रितों के लिए उपबन्ध—इस अधिनियम के अध्यधीन के उन सब व्यक्तियों की दशा में, जो ऐसे युद्ध-कैदी हैं जिनके वेतन और भत्ते धारा 91 के खण्ड (ज) या धारा 92 के खण्ड (क) के अधीन समपहृत किए गए हैं किन्तु जिनकी बाबत धारा 98 के अधीन कोई परिहार किया गया है, यह विधिपूर्ण होगा कि विहित प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों के किन्हीं आश्रितों के लिए उचित उपबन्ध ऐसे वेतन और भत्तों में से किया जाए और उस दशा में वह परिहार ऐसे वेतन और भत्तों में से ऐसा करने करने के पश्चात् जो कुछ बाकी बचे उतने को ही लागू समझा जाएगा ।

100. युद्ध कैदी के वेतन और भत्तों में से उसके आश्रितों के लिए उपबन्ध—यह विधिपूर्ण होगा कि इस अधिनियम के अध्यधीन का जो कोई व्यक्ति युद्ध-कैदी है या लापता है, उसके किन्हीं आश्रितों के लिए उचित उपबन्ध विहित प्राधिकारियों द्वारा उसके वेतन और भत्तों में से किया जाए ।

101. वह कालावधि जिसके दौरान कोई व्यक्ति युद्ध कैदी समझा जाता है—धाराओं 99 और 100 के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक उसके आचरण की ऐसी जांच, जैसी धारा 97 में विनिर्दिष्ट है, समाप्त नहीं हो जाती तब तक और यदि वह ऐसे आचरण के परिणामस्वरूप सकलंक पदच्युत किया जाता है या सेवा से पदच्युत किया जाता है तो ऐसे सकलंक पदच्युत किए जाने की या पदच्युत किए जाने की तारीख तब वह युद्ध-कैदी बना रहा है ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अध्याय 9

गिरफ्तारी तथा विचारण के पूर्व की कार्यवाहियां

102. अपराधियों की अभिरक्षा—(1) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जिस पर किसी अपराध का आरोप है, वायु सेना अभिरक्षा में लिया जा सकेगा ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को वायु सेना अभिरक्षा के लिए जाने का आदेश किसी भी वरिष्ठ आफिसर द्वारा दिया जा सकेगा ।

(3) कोई आफिसर यह आदेश दे सकेगा कि किसी भी आफिसर को, भले ही वह उच्चतर रैंक का हो, जो झगड़ा, दंगा या उपद्रव करने में लगा हो, वायु सेना अभिरक्षा में लिया जाए ।

103. निरोध के सम्बन्ध में कमान आफिसर का कर्तव्य—(1) हर कमान आफिसर का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात की सतर्कता बरते कि जो व्यक्ति उसके समादेश के अधीन है, उस पर किसी अपराध का आरोप लगाए जाने पर वह व्यक्ति उस आरोप का अन्वेषण किए बिना उस समय के पश्चात्, जब उस व्यक्ति के अभिरक्षा में सुपुर्द किए जाने की रिपोर्ट ऐसे आफिसर को की गई है, तब के सिवाय जबकि अड़तालीस घण्टे के अन्दर ऐसे अन्वेषण का किया जाना लोक सेवा की दृष्टि से उसे असाध्य प्रतीत होता हो, अड़तालीस घण्टे से अधिक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध न किया जाए ।

(2) हर ऐसे व्यक्ति के मामले की, जो अड़तालीस घण्टे से अधिक की कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया हुआ है और ऐसे निरुद्ध किए जाने के कारण की रिपोर्ट कमान आफिसर द्वारा उस एयर आफिसर या अन्य आफिसर को की जाएगी, जिससे उस व्यक्ति का जिस पर आरोप है विचारण करने के लिए जनरल या डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय संयोजित करने का आवेदन किया जाता ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अड़तालीस घण्टों की कालावधि की गणना करने में रविवार और अन्य लोकावकाश दिन अपवर्जित किए जाएंगे ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार वह रीति और वह कालावधि उपबन्धित करने वाले नियम बना सकेगी जिसमें और जिसके लिए कि वह कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अध्यधीन है, उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले विचारण के लम्बित रहने तक वायु सेना अभिरक्षा में लिया और निरुद्ध किया जा सकेगा ।

104. सुपुर्दगी और सेना-न्यायालय के समवेत होने के आदेश के बीच का अन्तराल—हर ऐसे मामले में, जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 102 में वर्णित है और सक्रिय सेवा पर नहीं है, उसके विचारण के लिए सेना-न्यायालय के समवेत होने का आदेश हुए बिना, ऐसी अभिरक्षा में आठ दिन से दीघर्तर कालावधि के लिए रहे तो उसके कमान आफिसर द्वारा विलम्ब का कारण देने वाली एक विशेष रिपोर्ट, विहित रीति में की जाएगी, और ऐसी ही रिपोर्ट हर आठ दिन के अन्तरालों पर तब तक भेजी जाएगी जब तक सेना-न्यायालय समवेत न हो जाए या उस व्यक्ति को अभिरक्षा से निर्मुक्त न कर दिया जाए ।

105. सिविल प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी—जब कभी उस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर की अधिकारिता के अन्दर है तब वह मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर उस व्यक्ति के पकड़े जाने और वायु सेना अभिरक्षा में दिए जाने में सहायता उसके कमान आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित उस भाव के लिखित आवेदन की प्राप्ति पर करेगा ।

106. अभित्याजकों को पकड़ना—(1) जब कभी इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति अभित्यजन करता है तब उस यूनिट या टुकड़ी का, जिसका वह अंग है, कमान आफिसर अभित्यजन की लिखित इत्तिला ऐसे सिविल प्राधिकारियों को देगा जो उसकी राय में अभित्याजक को पकड़ने में सहायता देने में समर्थ हों, और तदुपरि वे प्राधिकारी उक्त अभित्याजक को पकड़ने के लिए उसी रीति से कार्रवाई करेंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जिसे पकड़ने के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा वारण्ट निकाला गया है और अभित्याजक के पकड़ लिए जाने पर उसे वायु सेना अभिरक्षा में दे देंगे ।

(2) कोई भी पुलिस आफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास है कि वह इस अधिनियम के अध्यधीन का है और अभित्याजक है या प्राधिकार के बिना यात्रा कर रहा है, बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा और विधि के अनुसार बरते जाने के लिए उसे अविलम्ब निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष लाएगा ।

107. छुट्टी बिना अनुपस्थित रहने की जांच—(1) जबकि इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति सम्यक् प्राधिकार के बिना तीस दिन की कालावधि पर्यन्त अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है तब एक जांच अधिकरण यथासाध्य शीघ्र समवेत किया जाएगा और वह अधिकरण उस व्यक्ति की अनुपस्थिति के बारे में और उसकी देख-रेख के लिए न्यस्त की हुई सरकारी सम्पत्ति में या किन्हीं आयुधों, गोलाबारूद, उपस्कर, उपकरणों, कपड़ों या आवश्यक वस्तुओं में हुई कमी के (यदि कोई हों) बारे में जांच विहित रीति से दिलाई गई शपथ या कराए गए प्रतिज्ञान पर करेगा, और यदि उसका इस तथ्य की बाबत समाधान हो जाए कि अनुपस्थिति सम्यक् प्राधिकार या अन्य पर्याप्त हेतुक के बिना हुई है तो वह उस अनुपस्थिति और उसकी कालावधि की तथा उक्त कमी की (यदि कोई हो) घोषणा करेगा तथा उस युनिट का, जिसका वह व्यक्ति अंग है, कमान आफिसर उस घोषणा के अभिलेख को उस यूनिट की सेना-न्यायालय पुस्तिका में प्रविष्ट करेगा ।

(2) यदि वह व्यक्ति जो अनुपस्थित घोषित किया गया है तत्पश्चात् न तो अभ्यर्पण करता है और न पकड़ा जाता है तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभित्याजक समझा जाएगा ।

108. प्रोवो मार्शल—(1) प्रोवो मार्शल [1][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा या किसी विहित आफिसर द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे ।

(2) प्रोवो मार्शल के कर्तव्य हैं किसी अपराध के लिए परिरुद्ध व्यक्तियों को अपने भारसाधन में लेना, उन व्यक्तियों में जो वायु सेना में सेवा करते हैं, या उससे संलग्न हैं, सुव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना तथा उनका उनके द्वारा भंग किया जाना निवारित करना ।

(3) कोई प्रोवो मार्शल इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई अपराध करता है या जिस पर किसी अपराध का आरोप है, विचारण के लिए किसी भी समय गिरफ्तार और निरुद्ध कर सकेगा तथा किसी सेना-न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे आफिसर द्वारा जो धारा 82 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, अधिनिर्णीत दण्डादेश के अनुसरण में दिए जाने वाले दण्ड को कार्यान्वित भी कर सकेगा किन्तु अपने स्वयं के प्राधिकार से वह कोई दण्ड नहीं देगा :

परन्तु कोई भी आफिसर किसी अन्य आफ़िसर के आदेश पर गिरफ्तार या निरुद्ध किए जाने से अन्यथा ऐसे गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि प्रोवो मार्शल के अन्तर्गत सेना अधिनियम या नौ-सेना अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रोवो मार्शल और ऐसा व्यक्ति, जो उसके अधीन या उसकी ओर से प्राधिकार का वैध रूप से प्रयोग कर रहा है, आता है ।

अध्याय 10

सेना-न्यायालय

109. विभिन्न प्रकार के सेना-न्यायालय—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेना-न्यायालय तीन प्रकार के होंगे, अर्थात् :—

(क) जनरल सेना-न्यायालय ;

(ख) डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय ; तथा

(ग) सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय ।

110. जनरल सेना-न्यायालय संयोजित करने की शक्ति—जनरल सेना-न्यायालय केन्द्रीय सरकार द्वारा या [1][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा या [1][वायु सेनाध्यक्ष] के अधिपत्र से इस निमित्त सशक्त किए गए किसी आफिसर द्वारा संयोजित किया जा सकेगा ।

111. डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय संयोजित करने की शक्ति—डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय, जनरल सेना-न्यायालय संयोजित करने की शक्ति रखने वाले आफिसर द्वारा या ऐसे किसी आफिसर के अधिपत्र से इस निमित्त सशक्त किए गए आफिसर द्वारा संयोजित किया जा सकेगा ।

112. धाराओं 110 और 111 के अधीन निकाले गए अधिपत्रों की अन्तर्वस्तुएं—धारा 110 या धारा 111 के अधीन निकाले गए अधिपत्र में से ऐसे निर्बन्धन, आरक्षण या शर्तें अन्तर्विष्ट हो सकेंगी जैसी उसे निकालने वाला आफिसर ठीक समझे ।

113. सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय संयोजित करने की शक्ति—निम्नलिखित प्राधिकारियों को सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय संयोजित करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार के या [1][वायु सेनाध्यक्ष] के आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया आफिसर ;

(ख) सक्रिय सेवा पर, फील्ड में बलों का समादेशन करने वाला आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया आफिसर ;

(ग) सक्रिय सेवा पर की वायु सेना के किसी नियोजित प्रभाग का समादेशन करने वाला आफिसर, उस समय जब उसकी राय में, सेवा के अनुशासन का और अभ्यावश्यकताओं का सम्यक् रूप से ध्यान रखते हुए, यह साध्य न हो कि अपराध का विचारण किसी जनरल सेना-न्यायालय द्वारा किया जाए ।

114. जनरल सेना-न्यायालय की संरचना—जनरल सेना-न्यायालय कम से कम पांच ऐसे आफिसरों से मिलकर बनेगा जिनमें से हर एक कम से कम तीन पूरे वर्ष तक आयोग धारण कर चुका है और जिनमें से कम से कम चार फलाइट लैफ्टिनेंट के रैंक से नीचे के रैंक के नहीं हैं ।

115. डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय की संरचना—डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय कम से कम तीन ऐसे आफिसरों से मिलकर बनेगा जिनमें से हर एक कम से कम दो पूरे वर्ष तक आयोग धारण कर चुका है ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

116. सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय की संरचना—सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय कम से कम तीन आफ़िसरों से मिलकर बनेगा ।

117. सेना-न्यायालयों का विघटन—(1) यदि विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् किसी सेना-न्यायालय में उन आफिसरों की संख्या जिनसे मिल कर वह बना है उस न्यूनतम संख्या से जो इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, कम हो जाती है तो वह विघटित कर दिया जाएगा ।

(2) यदि निष्कर्ष के पहले जज एडवोकेट की या अभियुक्त की रुग्णता के कारण विचारण चलाते रहना असम्भव हो जाए तो सेना-न्यायालय विघटित कर दिया जाएगा ।

(3) वह आफिसर, जिसने सेना-न्यायालय संयोजित किया है, ऐसे सेना-न्यायालय को विघटित कर सकेगा यदि उसे यह प्रतीत हो कि सेवा की अभ्यावश्यकताओं या अनुशासनिक आवश्यकताओं ने उक्त सेना-न्यायालय का चालू रहना असम्भव या असमीचीन कर दिया है ।

(4) जहां कि सेना-न्यायालय इस धारा के अधीन विघटित किया जाए वहां अभियुक्त का विचारण फिर से किया जा सकेगा ।

118. जनरल और सम्मरी जनरल सेना-न्यायालयों की शक्तियां—जनरल या सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय को इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति का, ऐसे अपराध के लिए, जो उसमें दण्डनीय है विचारण करने और एतद्द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित करने की शक्ति होगी ।

119. डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालयों की शक्तियां—डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय को आफिसर या वारण्ट आफिसर से भिन्न इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति का, ऐसे अपराध के लिए, जो उसमें दण्डनीय किया गया है, विचारण करने की तथा इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा दण्डादेश पारित करने की जो मृत्यु, निर्वासन या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दण्डादेश से भिन्न है, शक्ति होगी ।

120. द्वितीय विचारण का प्रतिषेध—जबकि इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, किसी सेना-न्यायालय या किसी दण्ड-न्यायालय द्वारा किसी अपराध से दोषमुक्त या उसके लिए दोषसिद्ध किया गया है या उसके बारे में धारा 82 या धारा 86 के अधीन कार्यवाही कर दी गई है तब वह उसी अपराध के लिए किसी सेना-न्यायालय द्वारा पुन: विचारण किए जाने या उक्त धाराओं के अधीन कार्यवाही की जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

121. विचारण के लिए परिसीमा काल—(1) उपधारा (2) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति का, किसी अपराध के लिए सेना-न्यायालय द्वारा कोई भी विचारण उस अपराध की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रारम्भ नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध अभित्यजन या कपटपूर्ण अभ्यावेशन के अपराध या धारा 37 में वर्णित अपराधों में से किसी के लिए विचारण को लागू नहीं होंगे ।

(3) समय की जो कालावधि उपधारा (1) में वर्णित है उसकी गणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा, जो ऐसे व्यक्ति ने अपराध किए जाने के पश्चात् युद्ध-कैदी के रूप में शत्रु के क्षेत्र में या गिरफ्तारी से बचने में बिताया है ।

(4) यदि प्रश्नगत व्यक्ति जो आफिसर नहीं है अपराध के किए जाने के पश्चात् वायु सेना के किसी प्रभाग में अनुकरणीय सेवा निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक कर चुका है तो सक्रिय सेवा पर के अभित्यजन से भिन्न अभित्यजन के अपराध का या कपटपूर्ण अभ्यावेशन के अपराध का कोई भी विचारण प्रारम्भ नहीं किया जाएगा ।

122. उस अपराधी का दायित्व जो इस अधिनियम के अधीन नहीं रह जाता है—(1) जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा उस समय किया गया था जबकि वह इस अधिनियम के अध्यधीन था और वह ऐसे अध्यधीन नहीं रह गया है वहां उसे वायु सेना अभिरक्षा में ले लिया और रखा जा सकेगा तथा ऐसे अपराध के लिए ऐसे विचारित और दण्डित किया जा सकेगा मानो वह ऐसे अध्यधीन बना रहा हो ।

(2) उपधाराओं (3) और (4) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए विचारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके विचारण का प्रारम्भ उसके इस अधिनियम के अध्यधीन न रह जाने के पश्चात् छह मास के अन्दर प्रारम्भ न हो जाए ।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध अभिम्यजन या कपटपूर्ण अभ्यावेशन के अपराध के लिए या धारा 37 में वर्णित अपराधों में से किसी के लिए किसी व्यक्ति के विचारण को लागू नहीं होंगे ।

(4) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी अपराध का विचारण करने की सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं डालेगी जो ऐसे न्यायालय द्वारा तथा सेना-न्यायालय द्वारा भी विचारणीय है ।

(5) जबकि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति को किसी सेना-न्यायालय द्वारा निर्वासन या कारावास का दण्डादेश दिया जाता है तब वह अधिनियम उसके दण्डादेश की अवधि के दौरान उसको लागू होगा, यद्यपि वह वायु सेना से पदच्युत या सकलंक

पदच्युत कर दिया जाता है, या अन्यथा इस अधिनियम के अध्यधीन नहीं रह गया है, तथा उसे ऐसे रखा, हटाया, कारावासित और दण्डित जा सकेगा, मानो वह इस अधिनियम के अध्यधीन बना रहा है ।

(6) जबकि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति को किसी सेना-न्यायालय द्वारा मृत्यु का दण्डादेश दिया जाता है, तब यह अधिनियम उसको तब तक लागू होगा जब तक कि वह दण्डादेश कार्यान्वित नहीं कर दिया जाता ।

123. विचारण का स्थान—इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध करेगा वह ऐसे अपराध के लिए किसी भी स्थान में विचारित और दण्डित किया जा सकेगा ।

124. दण्ड-न्यायालय और सेना-न्यायालय में से किसी एक का चुनाव—जबकि दण्ड-न्यायालय और सेना-न्यायालय में से हर एक किसी अपराध के संबंध में अधिकारिता रखता है तब यह विनिश्चित करना कि कार्यवाही किस न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाए, [1][वायु सेनाध्यक्ष] के या उस ग्रुप, विंग या स्टेशन का, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा है समादेशन करने वाले आफिसर के या ऐसे अन्य आफिसर के, जो विहित किया जाए, विवेकाधीन होगा और यदि वह आफिसर विनिश्चित करता है कि वह सेना-न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाए तो यह निदेश देगा कि अभियुक्त व्यक्ति को वायु सेना अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए उसके विवेकाधीन होगा ।

125. दण्ड-न्यायालय की यह अपेक्षित करने की शक्ति कि अपराधी परिदत्त किया जाए—(1) जबकि अधिकारिता रखने वाले दण्ड-न्यायालय की यह राय है कि किसी अभिकथित अपराध के बारे में कार्यवाहियां उसी के समक्ष संस्थित की जानी चाहिए तब वह लिखित सूचना द्वारा धारा 124 में निर्दिष्ट आफिसर से अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वविकल्प में या तो अपराधी को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर दे या तब तक के लिए कार्यवाहियों को मुल्तवी कर दे जब तक केन्द्रीय सरकार को निर्देश लम्बित रहे ।

(2) ऐसे हर एक मामले में उक्त आफिसर या तो उस अध्यपेक्षा के अनुपालन में अपराधी को परिदत्त कर देगा या इस प्रश्न को कि कार्यवाहियां किस न्यायालय के समक्ष संस्थित की जानी है केन्द्रीय सरकार के अवधारण के लिए तत्क्षण निर्देशित करेगा, जिसका कि ऐसे निर्देश पर आदेश होगा ।

126. दण्ड-न्यायालय और सेना-न्यायालय द्वारा क्रमवर्ती विचारण—(1) सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिए गए किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों पर दण्ड-न्यायालय द्वारा विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से पुन: किया जा सकेगा ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी सेना-न्यायालय द्वारा दण्डादिष्ट या धारा 82 या धारा 86 के अधीन दण्डित व्यक्ति का उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों पर दण्ड-न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् विचारण किया जाता है और उसे दोषसिद्ध किया जाता है । तो वह न्यायालय दण्ड अधिनिर्णीत करने में उस दण्ड का ध्यान रखेगा जो वह व्यक्ति उक्त अपराध के लिए पहले ही भोग चुका है ।

अध्याय 11

सेना-न्यायालयों की प्रक्रिया

127. पीठासीन आफिसर—हर जनरल, डिस्ट्रिक्ट या सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय में ज्येष्ठ सदस्य पीठासीन आफ़िसर होगा ।

128. जज एडवोकेट—एक जज एडवोकेट, जो या तो मुख्य विधिक सलाहाकार के विभाग का कोई आफ़िसर होगा या यदि कोई आफ़िसर उपलब्ध न हो तो मुख्य विधिक सलाहकार द्वारा या उसके उपपदीयों में से किसी के द्वारा अनुमोदित कोई आफ़िसर होगा, हर एक जनरल सेना-न्यायालय में हाजिर रहेगा तथा हर एक डिस्ट्रिक्ट या सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय में हाजिर रह सकेगा ।

129. आक्षेप—(1) जनरल, डिस्ट्रिक्ट या सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय द्वारा सभी विचारणों में, जैसे ही न्यायालय समवेत हो वैसे ही, पीठासीन आफ़िसर और सदस्यों के नाम अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे, जिससे तब यह पूछा जाएगा कि क्या वह न्यायालयासीन किसी आफ़िसर द्वारा अपना विचारण किए जाने पर आक्षेप करता है ।

(2) यदि अभियुक्त ऐसे किसी आफ़िसर के बारे में आक्षेप करता है तो उसका आक्षेप और उस पर उस आफ़िसर का, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, उत्तर भी सुना और अभिलिखित किया जाएगा और न्यायालय के बाकी आफ़िसर आक्षेप पर उस आफ़िसर की अनुपस्थिति में विनिश्चय करेंगे जिसके बारे में आक्षेप किया गया है ।

(3) यदि मत देने के हकदार आफ़िसरों के आधे या अधिक मतों से आक्षेप मंजूर किया जाए तो आक्षेप मंजूर किया जाएगा और वह सदस्य, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, निवृत्त हो जाएगा, और उस रिक्ति को विहित रीति से किसी अन्य आफ़िसर से अभियुक्त के आक्षेप करने के उसी अधिकार के अध्यधीन रहते हुए भरा जा सकेगा ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) जबकि कोई आक्षेप नहीं किया गया है या जबकि आक्षेप किया गया है और नामंजूर कर दिया गया है या ऐसे हर आफिसर का स्थान, जिसके बारे में सफ़लतापूर्वक आक्षेप किया गया है, किसी अन्य ऐसे आफ़िसर से भर दिया गया है जिसके बारे में कोई आक्षेप नहीं किया गया है या मंजूर नहीं किया गया है तब न्यायालय विचारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

130. सदस्य, जज एडवोकेट और साक्षी को शपथ दिलाना—(1) इसके पूर्व कि विचारण प्रारम्भ हो, हर सेना-न्यायालय के हर सदस्य को और जज एडवोकेट को विहित रीति से शपथ दिलाई जाएगी या उससे प्रतिज्ञान कराया जाएगा ।

(2) सेना-न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा, विहित प्ररूप में सम्यक् रूप से उसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध वहां लागू नहीं होंगे जहां कि साक्षी बारह वर्ष से कम आयु का बालक है और सेना-न्यायालय की यह राय है कि यद्यपि साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को तो समझता है किन्तु शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता ।

131. सदस्यों द्वारा मतदान—(1) उपधाराओं (2) और (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि सेना-न्यायालय का हर विनिश्चय स्पष्ट बहुमत से पारित किया जाएगा, तथा जहां कि या तो निष्कर्ष पर या दण्डादेश पर मत साम्य हो वहां विनिश्चय अभियुक्त के पक्ष में होगा ।

(2) जनरल सेना-न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश उस न्यायालय के सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई की सहमति के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(3) सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश सब सदस्यों की सहमति के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(4) आक्षेप या निष्कर्ष या दण्डादेश के मामलों से भिन्न मामलों में पीठासीन आफ़िसर को निर्णायक मत प्राप्त होगा ।

132. साक्ष्य के बारे में साधारण नियम—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सेना-न्यायालय के समक्ष की सब कार्यवाहियों को लागू होगा ।

133. न्यायिक अवेक्षा—सेना-न्यायालय किसी ऐसी बात की न्यायिक अवेक्षा कर सकेगा जो सदस्यों के साधारण वायु सेना ज्ञान में होती है ।

134. साक्षियों को समन करना—(1) संयोजक आफिसर, सेना-न्यायालय का पीठासीन आफ़िसर, जज एडवोकेट या अभियुक्त व्यक्ति का कमान आफिसर, स्वहस्ताक्षरित समन द्वारा किसी व्यक्ति की या तो साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु पेश करने के लिए उस समय या स्थान पर, जो समन में वर्णित किया जाएग, हाजिरी अपेक्षित कर सकेगा ।

(2) उस साक्षी की दशा में, जो वायु सेना प्राधिकार के अध्यधीन है, समन उसके कमान आफिसर को भेजा जाएगा और वह आफिसर उसकी उस पर तदनुसार तामील करेगा ।

(3) किसी अन्य साक्षी की दशा में समन उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी अधिकारिता के अन्दर वह हो या निवास करता हो और वह मजिस्ट्रेट समन को ऐसे कार्यान्वित करेगा मानो साक्षी उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आने के लिए अपेक्षित हो ।

(4) जबकि कोई साक्षी अपने कब्जे या शक्ति में की किसी विशिष्ट दस्तावेज या अन्य वस्तु को पेश करने के लिए अपेक्षित हो तब समन में युक्तियुक्त प्रमितता के साथ उसका वर्णन किया जाएगा ।

135. पेश किए जाने से छूट प्राप्त दस्तावेज—(1) धारा 134 की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धाराओं 123 और 124 के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली अथवा डाक या तार प्राधिकारियों की अभिरक्षा में के किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी ।

(2) यदि ऐसी अभिरक्षा में की कोई दस्तावेज किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की राय में किसी सेना-न्यायालय के प्रयोजन के लिए वांछित है तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसी दस्तावेज ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करें जिसे वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निदिष्ट करे ।

(3) यदि ऐसी कोई दस्तावेज किसी अन्य मजिस्ट्रेट की या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसे किसी प्रयोजन के लिए वांछित है तो वह, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसी दस्तावेज की तलाश कराएं और ऐसे किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के आदेश तक उसे रोक रखें ।

136. साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन—(1) जब कभी सेना-न्यायालय द्वारा किए जा रहे विचारण के अनुक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना, जितना मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त होगा, नहीं कराई जा सकती तब ऐसा न्यायालय मुख्य विधि सलाहकार को इस वास्ते सम्बोधित कर सकेगा कि उस साक्षी का साक्ष्य लेने के लिए कमीशन निकाला जाए ।

(2) मुख्य विधि सलाहकार तब यदि आवश्यक समझे तो वह साक्षी का साक्ष्य लेने के लिए किसी ऐसे जिला मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के नाम, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर वह साक्षी निवास करता है, कमीशन निकाल सकेगा ।

(3) वह मजिस्ट्रेट या आफ़िसर, जिसके नाम कमीशन निकाला गया है या यदि वह जिला मजिस्ट्रेट है तो वह या ऐसा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जैसा उसने इस निमित्त नियुक्त किया है, उस स्थान को जाएगा जहां साक्षी है या साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा और उसी रीति से उसका साक्ष्य लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के या [1][जम्मू-कश्मीर राज्य*] में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन वारण्ट मामलों के विचारणों के लिए है ।

(4) जबकि साक्षी किसी जनजाति क्षेत्र में या भारत के बाहर किसी स्थान में निवास करता है तब कमीशन उस रीति में निकाला जा सकेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय 40 या [1][जम्मू-कश्मीर राज्य] में प्रवृत्त तत्समान विधि में विनिर्दिष्ट है ।

(5) इस और निकट आगामी धारा में, मुख्य विधि सलाहकार के अन्तर्गत उप मुख्य विधि सलाहकार आता है ।

137. साक्षी की कमीशन पर परीक्षा—(1) किसी ऐसे मामले में, जिसमें धारा 136 के अधीन कमीशन निकाला जाता है, अभियोजक और अभियुक्त व्यक्ति क्रमश: कोई ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकेंगे जिन्हें न्यायालय विवाद से सुसंगत समझे और ऐसे कमीशन का निष्पादन करने वाला मजिस्ट्रेट या आफिसर, साक्षी की परीक्षा ऐसे परिप्रश्नों पर करेगा ।

(2) अभियोजक और अभियुक्त व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या आफ़िसर के समक्ष काउन्सल की मार्फ़त या उस दशा के सिवाय जबकि अभियुक्त व्यक्ति अभिरक्षा में है स्वयं उपसंजात हो सकेंगे और उक्त साक्षी की, यथास्थिति, परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुन: परीक्षा कर सकेंगे ।

(3) धारा 136 के अधीन निकाले गए कमीशन के सम्यक् रूप से निष्पादित किए जाने के पश्चात् वह उस साक्षी के अभिसाक्ष्य के सहित, जिसकी उसके अधीन परीक्षा की गई है, मुख्य विधि सलाहकार को लौटा दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन लौटाए गए कमीशन और अभिसाक्ष्य की प्राप्ति पर मुख्य विधि सलाहकार उसे उस न्यायालय को, जिसकी प्रेरणा पर वह कमीशन निकाला गया था यदि वह न्यायालय विघटित कर दिया गया है तो अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के लिए संयोजित किसी अन्य न्यायालय को अग्रेषित कर देगा, और वह कमीशन तत्सम्बन्धी विवरणी और अभिसाक्ष्य अभियोजक और अभियुक्त व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और सब न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन रहते हुए, मामले में या तो अभियोजक द्वारा या अभियुक्ति द्वारा साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे और न्यायालय की कार्यवाही का भाग होंगे ।

(5) हर मामले में जिसमें धारा 136 के अधीन कमीशन निकाला गया है, विचारण ऐसे विनिर्दिष्ट समय के लिए जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो, स्थगित किया जा सकेगा ।

138. ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि जिसका आरोप न लगाया गया हो—(1) वह व्यक्ति, जिस पर अभित्यजन का आरोप सेना-न्यायालय के समक्ष लगाया गया है अभित्यजन करने का प्रयत्न करने या छुट्टी-बिना अनुपस्थित होने का दोषी ठहराया जा सकेगा ।

(2) वह व्यक्ति जिस पर अभित्यजन करने का प्रयत्न का आरोप सेना-न्यायालय के समक्ष लगाया गया है, छुट्टी-बिना अनुपस्थित होने का दोषी ठहराया जा सकेगा ।

(3) वह व्यक्ति, जिस पर यह आरोप कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है, सेना-न्यायालय के समक्ष लगाया गया है, हमले का दोषी ठहराया जा सकेगा ।

(4) वह व्यक्ति, जिस पर धमकी भरी भाषा का प्रयोग करने का आरोप सेना-न्यायालय के समक्ष लगाया गया है, अधीनताद्योतक भाषा का प्रयोग करने का दोषी ठहराया जा सकेगा ।

(5) वह व्यक्ति, जिस पर धारा 52 के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी एक का आरोप सेना-न्यायालय के समक्ष लगाया गया है, इन अपराधों में से किसी ऐसे अन्य अपराध का दोषी ठहराया जा सकेगा जिसका उस पर आरोप लगाया जा सकता था ।

(6) वह व्यक्ति, जिस पर धारा 71 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का आरोप सेना-न्यायालय के समक्ष लगाया गया है, किसी ऐसे अन्य अपराध का दोषी ठहराया जा सकेगा जिसका दोषी वह तब ठहराया जा सकता था जब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्ध लागू होते ।

(7) वह व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप सेना-न्यायालय के समक्ष लगाया गया है, अपराध के ऐसी परिस्थितियों में किए जाने का, जिनमें अधिक कठोर दण्ड अन्तर्वलित है, सबूत न होने पर उसी अपराध के ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कम कठोर दण्ड अन्तर्वलित है, किए जाने का दोषी ठहराया जा सकेगा ।

(8) वह व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप सेना-न्यायालय के समक्ष लगाया गया है, उस अपराध के प्रयत्न का या दुष्प्रेरण का दोषी ठहराया जा सकेगा, यद्यपि प्रयत्न या दुष्प्रेरण का आरोप पृथक्त: न लगाया गया हो ।

---

[1] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया।

139. हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा—इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में कोई भी ऐसा आवेदन, प्रमाणपत्र, वारण्ट, उत्तर या अन्य दस्तावेज, जिसका सरकार की सेवा में के किसी आफ़िसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, पेश की जाने पर यह बात, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए उपधारित की जाएगी कि वह उस व्यक्ति द्वारा और उस हैसियत में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की गई है जिसके द्वारा और जिस हैसियत में उसका हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है ।

140. अभ्यावेशन पत्र—(1) कोई अभ्यावेशन पत्र जो किसी अभ्यावेशन आफ़िसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में इस बात का साक्ष्य होगा कि अभ्यावेशित व्यक्ति ने प्रश्नों के वे उत्तर दिए थे जिनका उसके द्वारा दिया जाना उसमें व्यपदिष्ट है ।

(2) ऐसे व्यक्ति का अभ्यावेशन उसके मूल अभ्यावेशन पत्र या उसकी ऐसी प्रतिलिपि जो अभ्यावेशन पत्र को अभिरक्षा में रखने वाले आफिसर द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित होनी तात्पर्यित है पेश कर के साबित किया जा सकेगा ।

141. कतिपय दस्तावेजों के बारे में उपधारणा—(1) वायु सेना के किसी विभाग में किसी व्यक्ति के सेवा में होने के या उक्त प्रभाग से किसी व्यक्ति के सकलंक पदच्युत किए जाने, पदच्युति या उन्मोचन के संबंध में या किसी व्यक्ति की, इस परिस्थिति के बारे में कि उसने, बल के किसी प्रभाग में सेवा नहीं की है, या वह उसका अंग नहीं था, कोई पत्र, विवरणी या अन्य दस्तावेज उस दशा में, जिसमें कि उसका केन्द्रीय सरकार या [1][वायु सेनाध्यक्ष] द्वारा या किसी और से या किसी विहित आफ़िसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है उन तथ्यों का साक्ष्य होगी जो ऐसे पत्र, विवरणी या अन्य दस्तावेज में कथित है ।

(2) कोई सेना, नौसेना या वायु सेना सूची या राजपत्र, जिसका प्राधिकार से प्रकाशित होना तात्पर्यित है, उसमें उल्लिखित आफ़िसरों या वारण्ट आफ़िसरों की, प्रास्थिति और रैंक का और उनके द्वारा धारित किसी नियुक्ति का तथा सेवाओं की उस यूनिट या शाखा का, जिसके वे अंग हैं, साक्ष्य होगा ।

(3) जहां कि इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में या अन्यथा वायु सेना कर्तव्य के अनुसरण में कोई अभिलेख किसी सेवा पुस्तक में किया गया है और कमान आफ़िसर द्वारा या उस आफ़िसर द्वारा, जिसका कर्तव्य ऐसा अभिलेख अभिलिखित करना है, हस्ताक्षरित हुआ तात्पर्यित है वहां ऐसा अभिलेख उन तथ्यों का, जो उसमें कथित हैं, साक्ष्य होगा ।

(4) किसी सेवा पुस्तक में के किसी अभिलेख की प्रतिलिपि, जो ऐसी पुस्तक को अभिरक्षा में रखने वाले आफ़िसर द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित होनी तात्पर्यित है, ऐसे अभिलेख का साक्ष्य होगी ।

(5) जहां कि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति का विचारण, अभित्यजन के या छुट्टी-बिना अनुपस्थिति के आरोप पर हो रहा है और ऐसे व्यक्ति ने किसी आफ़िसर की या इस अधिनियम के अध्यधीन के अन्य व्यक्ति की या वायु सेना के किसी प्रभाग की अभिरक्षा में अपने को अभ्यर्पित कर दिया है या वह ऐसे आफ़िसर या व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया गया है वहां ऐसा प्रमाणपत्र जिसका, यथास्थिति, ऐसे आफ़िसर द्वारा या वायु सेना के उस प्रभाग के कमान आफ़िसर द्वारा, या उस यूनिट या टुकड़ी के, जिसका कि ऐसा व्यक्ति अंग है, कमान आफ़िसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है और जिसमें ऐसे अभ्यर्पण या पकड़े जाने का तथ्य, तारीख और स्थान तथा यह बात कि उसका पहनावा कैसा था कथित है ऐसी कथित बातों का साक्ष्य होगा ।

(6) जहां कि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति का विचारण, अभित्यजन के या छुट्टी-बिना अनुपस्थिति के आरोप पर हो रहा है और ऐसे व्यक्ति ने किसी ऐसे पुलिस आफ़िसर की, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक आफ़िसर की पंक्ति से नीचे का नहीं है, अभिरक्षा में अपने को अभ्यर्पित कर दिया है या वह ऐसे आफ़िसर द्वारा पकड़ लिया गया है वहां ऐसा प्रमाणपत्र, जिसका ऐसे पुलिस आफ़िसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है और जिसमें ऐसे अभ्यर्पण या पकड़े जाने का तथ्य, तारीख और स्थान तथा यह बात कि उसका पहनावा कैसा था कथित है ऐसी कथित बातों का साक्ष्य होगा ।

(7) कोई दस्तावेज, जिसका सरकार के रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, जो ऐसे किसी पदार्थ या चीज के बारे में है, जो परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे सम्यक् रूप से भेजी गई थी, इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी ।

142. अभियुक्त द्वारा सरकारी आफ़िसर को निर्देश—(1) यदि अभित्यजन के या छुट्टी-बिना अनुपस्थिति के छुट्टी के उपरान्त अनुपस्थिति के या सेवा के लिए बुलाए जाने पर वापस न आने के लिए किए जा रहे किसी विचारण में विचारित व्यक्ति अपनी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए किसी पर्याप्त या युक्तियुक्त प्रतिहेतु का कथन अपनी प्रतिरक्षा में करता है और उसके समर्थन में सरकार की सेवा में के किसी आफ़िसर के प्रति निर्देश करता है या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरक्षा में के उक्त कथन के किसी ऐसे आफ़िसर द्वारा साबित या नासाबित किए जाने की संभावना है तो न्यायालय ऐसे आफ़िसर को लिखेगा और कार्यवाहियों को तब तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक उसका उत्तर प्राप्त न हो जाए ।

(2) ऐसे निर्देशित आफ़िसर का लिखित उत्तर यदि उसके द्वारा हस्ताक्षरित हो तो वह साक्ष्य में लिया जाएगा और उसका वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिया गया हो ।

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) यदि ऐसे उत्तर की प्राप्ति के पूर्व न्यायालय का विघटन हो जाता है या यदि न्यायालय इस धारा के उपबन्धों का अनुवर्तन करने का लोप करता है तो संयोजक आफ़िसर कार्यवाहियों को स्वविवेकानुसार बातिल कर सकेगा और नए विचारण का आदेश दे सकेगा ।

143. पूर्व दोषसिद्धियों और साधारण शील का साक्ष्य—(1) जबकि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति को सेना-न्यायालय ने किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया है तब वह सेना-न्यायालय ऐसे व्यक्ति की किसी सेना-न्यायालय या किसी दण्ड न्यायालय द्वारा की गई पूर्वदोषसिद्धियों की या धारा 82 या धारा 86 के अधीन किए गए किसी पूर्व-दण्ड अधिनिर्णय की जांच कर सकेगा और साक्ष्य प्राप्त और अभिलिखित कर सकेगा तथा इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति के साधारण शील की और ऐसी बातों की, जो विहित की जाएं, जांच कर सकेगा और उन्हें अभिलिखित कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्राप्त किया गया साक्ष्य या तो मौखिक या सेना-न्यायालय पुस्तकों में की या अन्य शासकीय अभिलेखों में की प्रविष्टियों या उनमें से प्रमाणित उद्धरणों के रूप में हो सकेगा और विचारित व्यक्ति को विचारण के पूर्व यह सूचना देना आवश्यक नहीं होगा कि उसकी पूर्वदोषसिद्धियों या शील के बारे में साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा ।

144. अभियुक्त का पागलपन—(1) जब कभी सेना-न्यायालय द्वारा विचारण के अनुक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति, जिस पर आरोप है, चित्तविकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या यह कि उसने अभिकथित कार्य तो किया था किन्तु चित्तविकृति के कारण वह उस कार्य की प्रकृति को जानने में या यह जानने में कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है असमर्थ था, तब न्यायालय तद्नुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(2) न्यायालय का पीठासीन आफ़िसर, तत्काल मामले की रिपोर्ट, यथास्थिति, पुष्टिकर्ता आफ़िसर को करेगा ।

(3) पुष्टिकर्ता आफ़िसर जिसको मामले की रिपोर्ट, उपधारा (2) के अधीन की जाती है, यदि निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता है तो वह अभियुक्त व्यक्ति का उस अपराध के लिए, जिसका उस पर आरोप लगाया गया था, विचारण उसी या किसी अन्य सेना-न्यायालय द्वारा कराने के लिए कार्यवाही कर सकेगा ।

(4) पुष्टिकर्ता आफ़िसर, जो किसी मामले में, जिसकी रिपोर्ट उसको ऐसे उपधारा (2) के अधीन की गई है, निष्कर्ष की पुष्टि करता है, अभियुक्त व्यक्ति को विहित रीति से अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश देगा तथा मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के आदेशों के लिए करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार अभियुक्त व्यक्ति को किसी पागलखाने में या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य उपयुक्त स्थान में निरुद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगी ।

145. पागल अभियुक्त का आगे चल कर विचारण के उपयुक्त हो जाना—जहां कि कोई अभियुक्त व्यक्ति, चित्तविकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाए जाने पर धारा 144 के अधीन अभिरक्षा या निरोध में है, वहां वह आफ़िसर, जो उस यूनिट या टुकड़ी का समादेशन करता है जिसके समादेश क्षेत्र के अन्दर अभियुक्त अभिरक्षा में है या निरुद्ध है या इस निमित्त विहित कोई अन्य आफ़िसर—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति धारा 144 की उपधारा (4) के अधीन अभिरक्षा में है, तो किसी चिकित्सीय आफ़िसर की इस रिपोर्ट पर कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति धारा 144 की उपधारा (5) के अधीन किसी जेल में निरुद्ध है तो कारागारों के महानिरीक्षक के इस प्रमाणपत्र पर और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त उपधारा के अधीन किसी पागलखाने में निरुद्ध है तो उस पागलखाने के परिदर्शकों में से किन्हीं दो या अधिक के इस प्रमाणपत्र पर कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ हैं,

उस व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसका आरोप उस पर मूलत: लगाया गया था, उसी या अन्य किसी सेना-न्यायालय द्वारा या यदि वह अपराध सिविल अपराध है तो, किसी दण्ड-न्यायालय द्वारा कराने के लिए कार्यवाही कर सकेगा ।

146. धारा 145 के अधीन के आदेशों का केन्द्रीय सरकार को पारेषण—ऐसे हर आदेश की एक प्रतिलिपि जो अभियुक्त के विचारण के लिए किसी आफ़िसर द्वारा धारा 145 के अधीन किया गया है, तत्काल केन्द्रीय सरकार को भेज दी जाएगी ।

147. पागल अभियुक्त की निर्मुक्ति—जहां कि कोई व्यक्ति धारा 144 की उपधारा (4) के अधीन अभिरक्षा में या उस धारा की उपधारा (5) के अधीन निरोध में है वहां—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति उक्त उपधारा (4) के अधीन अभिरक्षा में है तो किसी चिकित्सीय आफ़िसर की ऐसी रिपोर्ट पर, अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति उक्त उपधारा (5) के अधीन निरुद्ध है तो धारा 145 के खण्ड (ख) में वर्णित प्राधिकारियों में से किसी के ऐसे प्रमाणपत्र पर, कि उस आफ़िसर या प्राधिकारी के विचार में उस व्यक्ति की निर्मुक्ति उसके स्वयं अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के संकट के बिना की जा सकती है,

तो केन्द्रीय सरकार यह आदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाए या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए या यदि उसे पहले ही किसी ऐसे लोक पागलखाने में नहीं भेज दिया गया है तो उसे लोक पागलखाने में भेज दिया जाए ।

148. पागल अभियुक्त का उसके नातेदारों को परिदान—जहां कि ऐसे व्यक्ति का, जो धारा 144 की उपधारा (4) के अधीन अभिरक्षा में या उस धारा की उपधारा (5) के अधीन निरोध में है, कोई नातेदार या मित्र वांछा करे कि वह उसकी देखरेख और अभिरक्षा में रखे जाने के लिए परिदत्त कर दिया जाए, तब केन्द्रीय सरकार, ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उस सरकार को समाधानप्रद ऐसी प्रतिभूति उसके द्वारा दिए जाने पर कि परिदत्त व्यक्ति की समुचित देखरेख की जाएगी और वह अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने से निवारित रखा जाएगा तथा परिदत्त व्यक्ति को ऐसे आफ़िसर के समक्ष और ऐसे समयों पर और स्थान पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति की ऐसे नातेदार या मित्र को परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगी ।

149. विचारण के लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश—जबकि कोई सम्पत्ति, जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, या जो कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लाई गई प्रतीत होती है, किसी सेना-न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पेश की जाए तब न्यायालय विचारण की समाप्ति होने तक के लिए ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यदि सम्पत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है तो ऐसा साक्ष्य, जैसा वह आवश्यक समझे, अभिलिखित करने के पश्चात् उसे बेच देने या अन्यथा व्ययनित करने का आदेश दे सकेगा ।

150. जिस सम्पत्ति के बारे में अपराध किया गया है उसके व्ययन के लिए आदेश—(1) किसी सेना-न्यायालय के समक्ष विचारण की समाप्ति के पश्चात् वह न्यायालय या उस सेना-न्यायालय के निष्कर्ष या दण्डादेश को जो पुष्ट करे वह आफ़िसर, या ऐसे आफ़िसर से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी, उस सम्पत्ति या दस्तावेज के, जो उस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है या उसकी अभिरक्षा में है, या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लाई गई है, नाश द्वारा, समपहरण द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को परिदान द्वारा जो उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करता है या अन्यथा व्ययनित करने का ऐसे आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(2) जहां कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश ऐसी सम्पत्ति के बारे में किया गया हो, जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, वहां वह आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित उस आदेश की प्रतिलिपि, चाहे विचारण भारत के अन्दर हुआ हो या न हुआ हो, ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजी जा सकेगी जिसकी अधिकारिता में वह सम्पत्ति तत्समय स्थित हो और तदुपरि वह मजिस्ट्रेट उस आदेश को ऐसे कार्यान्वित कराएगा मानो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के या [1][जम्मू-कश्मीर राज्य*] में प्रवृत्त तत्समान किसी विधि के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश हो ।

(3) इस धारा में "सम्पत्ति" शब्द के अन्तर्गत उस सम्पत्ति की दशा में जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है, न केवल वही सम्पत्ति आती है जो मूलत: किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में रही है वरन् वह सम्पत्ति भी आती है जिसमें या जिसके बदले में उसका संपरिवर्तन या विनिमय किया गया है और वह सब कुछ आता है जो ऐसे संपरिवर्तन या विनिमय द्वारा अव्यवहित या अन्यथा अर्जित किया गया है ।

151. सेना-न्यायालय की शक्तियां जबकि कतिपय अपराध इस अधिनियम के अध्यधीन न होने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाएं—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया सेना-न्यायालय द्वारा विचारण भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) की धाराओं 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और सेना-न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धाराओं 480 और 482 के अर्थ में न्यायालय समझा जाएगा ।

---

[1] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया।

अध्याय 12

पुष्टि और पुनरीक्षण

152. निष्कर्ष और दण्डादेश का तब तक, जब तक उनकी पुष्टि न कर दी जाए, विधिमान्य न होना—किसी जनरल, डिस्ट्रिक्ट या सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय का कोई भी निष्कर्ष या दण्डादेश वहां तक के सिवाय जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुष्ट कर दिया गया हो विधिमान्य न होगा ।

153. जनरल सेना-न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश पुष्ट करने की शक्ति—जनरल सेना न्यायालयों के निष्कर्ष और दण्डादेश केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी ऐसे आफ़िसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार के अधिपत्र द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, पुष्ट किए जा सकेंगे ।

154. डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश पुष्ट करने की शक्ति—डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालयों के निष्कर्ष और दण्डादेश जनरल सेना-न्यायालय को संयोजित करने की शक्ति रखने वाले आफ़िसर द्वारा या किसी ऐसे आफ़िसर द्वारा, जो ऐसे आफ़िसर के अधिपत्र द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, पुष्ट किए जा सकेंगे ।

155. पुष्टिकर्ता प्राधिकारी की शक्तियों की परिसीमा—धारा 153 या धारा 154 के अधीन निकाले गए अधिपत्र में ऐसे निर्बन्धन, प्रतिबन्ध या शर्तें अन्तर्विष्ट हो सकेंगी जो उसे निकालने वाला प्राधिकारी ठीक समझे ।

156. सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश पुष्ट करने की शक्ति—सम्मरी जनरल सेना-न्यायालयों के निष्कर्ष और दण्डादेश संयोजक आफिसर द्वारा या यदि वह ऐसा निदेश दे तो उससे वरिष्ठ किसी प्राधिकारी द्वारा, पुष्ट किए जा सकेंगे ।

157. दण्डादेशों में कमी करने, उनका परिहार करने, या उनका लघुकरण करने की पुष्टिकर्ता प्राधिकारी की शक्ति—(1) ऐसे निर्बन्धनों, प्रतिबन्धों या शर्तों के जो धारा 153 या धारा 154 के अधीन निकाले गए, किसी अधिपत्र में अन्तर्विष्ट हों और उपधाराओं (2) और (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, पुष्टिकर्ता प्राधिकारी किसी सेना-न्यायालय के दण्डादेश की पुष्टि करते समय उस दण्ड में जो तद्द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है, कमी कर सकेगा या उसका परिहार कर सकेगा या उस दण्ड को धारा 73 में अधिकथित मापमान में के निम्नतर दण्ड या दण्डों में लघुकृत कर सकेगा ।

(2) निर्वासन का दण्डादेश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत निर्वासन की अवधि से अधिक अवधि के कारावास या निरोध के दण्डादेश में लघुकृत नहीं किया जाएगा ।

(3) कारावास का दण्डादेश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत कारावास की अवधि से अधिक अवधि के निरोध के दण्डादेश में लघुकृत नहीं किया जाएगा ।

158. पोत के फलक पर के निष्कर्षों और दण्डादेशों का पुष्ट किया जाना—जब कि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति को किसी सेना-न्यायालय द्वारा उस समय विचारित या दण्डादिष्ट किया गया है जबकि वह पोत के फलक पर है तब निष्कर्ष और दण्डादेश वहां तक जहां तक कि पोत के फलक पर उसे पुष्ट और निष्पादित न किया गया हो, ऐसी रीति में पुष्ट और निष्पादित किया जा सकेगा मानो ऐसे व्यक्ति का विचारण उसके उतरने के पत्तन पर किया गया हो ।

159. निष्कर्ष या दण्डादेश का पुनरीक्षण—(1) सेना-न्यायालय का निष्कर्ष या दण्डादेश पुष्टिकर्ता आफिसर के आदेश से एक बार पुनरीक्षित किया जा सकेगा और ऐसे पुनरीक्षण पर न्यायालय यदि पुष्टिकर्ता आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिए निदेशित किया गया है तो वह अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा ।

(2) पुनरीक्षण पर न्यायालय उन्हीं आफिसरों से, जो उस समय उपस्थित थे जबकि मूल विनिश्चय पारित किया गया था, मिल कर गठित होगा जब तक कि उन आफिसरों में से कोई अपरिवर्जनीयत: अनुपस्थित न हो ।

(3) ऐसी अपरिवर्जनीय अनुपस्थिति की दशा में उसका हेतुक कार्यवाही में सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा और न्यायालय पुनरीक्षण करने के लिए अग्रसर होगा परन्तु वह तब जबकि यदि वह जनरल सेना-न्यायालय है तो पांच आफिसरों से या यदि वह सम्मरी जनरल या डिस्ट्रिक्ट सेना-न्यायालय है तो तीन आफिसरों से मिल कर उस समय भी गठित हो ।

160. कतिपय मामलों में निष्कर्ष या दण्डादेश का परिवर्तित किया जाना—(1) जहां कि किसी सेना-न्यायालय द्वारा दोषी होने का ऐसा निष्कर्ष, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, किसी कारण से अविधिमान्य पाया जाता है या साक्ष्य से उसका समर्थन नहीं होता है वहां वह प्राधिकारी, जिसे यदि निष्कर्ष विधिमान्य होता, दण्डादेश द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड को लघुकृत करने की शक्ति धारा 177 के अधीन होती, नया निष्कर्ष प्रतिस्थापित कर सकेगा और ऐसे निष्कर्ष में विनिर्दिष्ट या अन्तर्वलित अपराध के लिए दण्डादेश पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई प्रतिस्थापन तब के सिवाय, जबकि सेना-न्यायालय द्वारा उस आरोप पर ऐसा निष्कर्ष विधिमान्यतया दिया जा सकता था और तब तक के सिवाय जबकि यह प्रतीत हो कि अपराध साबित करने वाले तथ्यों के बारे में सेना-न्यायालय का समाधान अवश्य हो गया होगा, नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां कि सेना-न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश जिसकी पुष्टि हो चुकी है और जो उपधारा (1) के अधीन प्रतिस्थापित नए निष्कर्ष के अनुसरण में पारित दण्डादेश नहीं है किसी कारण से अविधिमान्य पाया जाता है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी विधिमान्य दण्डादेश पारित कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पारित दण्डादेश द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड, दण्डों के मापमान में उस दण्ड से उच्चतर नहीं होगा और न उस दण्ड से अधिक होगा जो उस दण्डादेश द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है जिसके लिए इस धारा के अधीन नया दण्डादेश प्रतिस्थापित किया गया है ।

(4) इस धारा के अधीन प्रतिस्थापित कोई निष्कर्ष या पारित कोई दण्डादेश इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगा मानों वह किसी सेना-न्यायालय का, यथास्थिति, निष्कर्ष या दण्डादेश हो ।

161. सेना-न्यायालय के आदेश, निष्कर्ष या दण्डादेश के विरुद्ध उपचार—(1) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो किसी सेना-न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश से अपने को व्यथित समझता है उस आफ़िसर या अधिकारी को, जो उस सेना-न्यायालय के किसी निष्कर्ष या दण्डादेश की पुष्टि करने के लिए सशक्त है, अर्जी दे सकेगा, और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी, पारित आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में या जिस कार्यवाही से वह आदेश सम्बद्ध है, उसकी नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के लिए ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी आवश्यक समझी जाए ।

(2) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो सेना-न्यायालय के ऐसे निष्कर्ष या दण्डादेश से, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है, अपने को व्यथित समझता है, केन्द्रीय सरकार, [1][वायु सेनाध्यक्ष] या समादेश में उस आफ़िसर से, जिसने उस निष्कर्ष या दण्डादेश की पुष्टि की है वरिष्ठ किसी विहित आफ़िसर को अर्जी दे सकेगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, [1][वायु सेनाध्यक्ष] या अन्य आफ़िसर उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

162. कार्यवाहियों का बातिल किया जाना—केन्द्रीय सरकार, वायु सेनाध्यक्ष या कोई विहित आफ़िसर किसी सेना-न्यायालय की कार्यवाहियों को इस आधार पर बातिल कर सकेगा कि वे अवैध या अन्यायपूर्ण हैं ।

अध्याय 13

दण्डादेशों का निष्पादन

163. मृत्यु दण्डादेश का रूप—सेना-न्यायालय का दण्डादेश अधिनिर्णीत करने में विवेकानुसार निदेश देगा कि अपराधी की मृत्यु ऐसे घटित की जाए कि जब तक वह मर न जाए तब तक उसे गर्दन में फांसी लगाकर लटकाए रखा जाए या उसे गोली मार कर मार दिया जाए ।

164. निर्वासन या कारावास के दण्डादेश का प्रारम्भ—जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी सेना-न्यायालय द्वारा निर्वासन, कारावास या निरोध से दण्डादिष्ट किया जाता है तब उस दण्डादेश की अवधि चाहे वह पुनरीक्षित किया गया हो या नहीं उस दिन प्रारम्भ हुई मानी जाएगी जिस दिन मूल कार्यवाही पीठासीन आफ़िसर द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी ।

165. निर्वासन के दण्डादेश का निष्पादन—जब कभी निर्वासन का कोई दण्डादेश इस अधिनियम के अधीन पारित किया जाता है या जब कभी मृत्यु का दण्डादेश निर्वासन में लघुकृत किया जाता है तब दण्डादिष्ट व्यक्ति का कमान आफ़िसर, या ऐसा अन्य आफ़िसर, जो विहित किया जाए, उस सिविल कारागार के भारसाधक आफ़िसर को, जिसमें ऐसे व्यक्ति को परिरुद्ध किया जाना है, विहित प्ररूप में वारण्ट भेजेगा और वारण्ट के साथ उसे उस कारागार को भेजे जाने का प्रबन्ध करेगा ।

166. कारावास के दण्डादेश का निष्पादन—(1) जब कभी कारावास का कोई दण्डादेश इस अधिनियम के अधीन पारित किया जाता है या जब कभी मृत्यु या निर्वासन का कोई दण्डादेश कारावास में लघुकृत किया जाता है तब पुष्टिकर्ता आफ़िसर या ऐसा अन्य आफ़िसर, जो विहित किया जाए, उपधारा (3) और (4) में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर, यह निदेश देगा कि या तो वह दण्डादेश सैनिक या वायु सेना कारागार में परिरोध द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा अथवा सिविल कारागार में परिरोध द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।

(2) जब कि कोई निदेश उपधारा (1) के अधीन दिया गया है, तब दण्डादिष्ट व्यक्ति का कमान आफ़िसर, या ऐसा अन्य आफ़िसर, जो विहित किया जाए, उस कारागार के भारसाधक आफ़िसर को, जिसमें ऐसे व्यक्ति को परिरुद्ध किया जाना है, विहित प्ररूप में वारण्ट भेजेगा और वारण्ट के साथ उसे उस कारागार को भेजे जाने का प्रबन्ध करेगा ।

(3) तीन मास से अनधिक की कालावधि के कारावास के दण्डादेश की दशा में उपधारा (1) में निर्दिष्ट आफ़िसर निदेश दे सकेंगे कि दण्डादेश किसी सिविल या सैनिक या वायु सेना कारागार के बजाय वायु सेना अभिरक्षा में परिरोध करके कार्यान्वित किया जाए ।

(4) सक्रिय सेवा पर की दशा में कारावास का दण्डादेश ऐसे स्थान में परिरोध द्वारा कार्यान्वित किया जा सकेगा जिसे फ़ील्ड में बलों का समादेशन करने वाला आफ़िसर समय-समय पर नियुक्त करे ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

167. अपराधी की अस्थायी अभिरक्षा—जहां कि यह निदेश दिया गया है कि निर्वासन या कारावास का दण्डादेश सिविल कारागार में भोगा जाए, वहां अपराधी उस समय तक, जब तक उसे किसी सिविल कारागर में भेजना सम्भव न हो जाए किसी सैनिक या वायुसेना अभिरक्षा में या सैनिक अभिरक्षा में या किसी अन्य उचित स्थान में रखा जा सकेगा ।

168. विशेष दशाओं में कारावास के दण्डादेश का निष्पादन—जब कभी किसी ऐसे एयर आफिसर या अन्य आफिसर की राय में, जो किसी ग्रुप का समादेशन कर रहा हो, कारावास का कोई दण्डादेश या कारावास के दण्डादेश का कोई प्रभाग धारा 166 के उपबन्धों के अनुसार किसी सैनिक या वायु सेना कारागार में या वायु सेना अभिरक्षा में विशेष कारणों से सुविधापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता तब वह आफिसर निदेश दे सकेगा कि वह दण्डादेश या उस दण्डादेश का वह प्रभाग किसी सिविल कारागार या अन्य उचित स्थान में परिरोध द्वारा कार्यान्वित किया जाए ।

169. कैदी का स्थान-स्थान को प्रवहण—जो व्यक्ति निर्वासन या कारावास के दण्डादेश के अधीन है वह एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने प्रवहण के दौरान या उस दशा में जिसमें वह पोत या वायुयान के फलक पर है या अन्यथा है ऐसे अवरोध के अध्यधीन किया जा सकेगा जो उसके सुरक्षित रूप से ले जाए जाने और अपसारण के लिए आवश्यक हो ।

170. निरोध के दण्डादेश का निष्पादन—जब कभी निरोध का कोई दण्डादेश इस अधिनियम के अधीन पारित किया जाता है या जब कभी मृत्यु, निर्वासन या कारावास का कोई दण्डादेश निरोध में लघुकृत किया जाता है तब वह दण्डादेश अपराधी को किसी सैनिक या वायु सेना निरोध बैरक, निरोध कोठरियों या अन्य सैनिक या वायु सेना अभिरक्षा में निरुद्ध करके कार्यान्वित किया जाएगा, और जब दण्डादेश किसी सैनिक या वायु सेना निरोध बैरक में निरुद्ध करके कार्यान्वित किया जाना हो तब दण्डादिष्ट व्यक्ति का कमान आफिसर या ऐसा अन्य आफिसर जो विहित किया जाए, उस निरोध बैरक के भारसाधक आफिसर को जिसमें दण्डादिष्ट व्यक्ति निरुद्ध किया जाना है विहित प्ररूप में वारण्ट भेजेगा और वारण्ट के साथ दण्डादिष्ट व्यक्ति को ऐसे निरोध बैरक को भेजेगा ।

171. कतिपय आदेशों का कारागार आफिसरों को संसूचित किया जाना—जब कभी किसी ऐसे दण्डादेश, आदेश या वारण्ट को, जिसके अधीन कोई व्यक्ति सिविल, सैनिक या वायु सेना कारागार में परिरुद्ध है, या सैनिक, या वायु सेना निरोध बैरक में निरुद्ध है अपास्त करने या उसमें फेरफार करने का कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन सम्यक्तः किया जाता है तब ऐसे आदेश के अनुसार एक अधिपत्र उस आदेश को करने वाले आफिसर या उसके स्टाफ आफिसर या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो विहित किया जाए उस कारागार या निरोध बैरक के भारसाधक आफिसर को भेजा जाएगा, जिसमें वह व्यक्ति परिरुद्ध है ।

172. जुर्माने के दण्डादेश का निष्पादन—जबकि जुर्माने का दण्डादेश किसी सेना-न्यायालय द्वारा धारा 71 के अधीन अधिरोपित किया जाए तब चाहे विचारण भारत में हुआ हो या नहीं, ऐसे दण्डादेश की पुष्टिकर्ता आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित एक प्रति, भारत में के किसी मजिस्ट्रेट को भेजी जा सकेगी और वह मजिस्ट्रेट तदुपरि उस जुर्माने को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के या [1][जम्मू-कश्मीर राज्य[*]] में प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के उपबन्धों के, जो जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए है, अनुसार ऐसे वसूल कराएगा मानो वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने का दण्डादेश हो ।

173. वायु सेना कारागारों की स्थापना और विनियमन—केन्द्रीय सरकार अपने नियन्त्रणाधीन के किसी निर्माण या निर्माण के भाग या किसी स्थान को उन व्यक्तियों के परिरोध के लिए, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन कारावास या निरोध से दण्डादिष्ट किया गया हो, वायु सेना कारागार या निरोध बैरक के रूप में पृथक् रख सकेगी ।

174. आदेश या अधिपत्र में अप्ररूपिता या गलती—जब कभी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन निर्वासन, कारावास या निरोध से दण्डादिष्ट किया जाता है और वह उस दण्डादेश को किसी ऐसे स्थान या रीति में भोग रहा है जिसमें कि वह इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विधिपूर्ण आदेश या अधिपत्र के अधीन परिरुद्ध किया जा सकता है, तब ऐसे व्यक्ति का परिरोध केवल इस कारण अवैध न समझा जाएगा कि उस आदेश, अधिपत्र या अन्य दस्तावेज या उस प्राधिकार में या के सम्बन्ध में, जिसके द्वारा या जिसके अनुसरण में वह व्यक्ति ऐसे स्थान में लाया गया था या परिरुद्ध है, कोई अप्ररूपिता या गलती है, और ऐसे किसी आदेश, अधिपत्र या दस्तावेज को तद्नुसार संशोधित किया जा सकेगा ।

175. कारागारों और कैदियों के बारे में नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों के लिए उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी—

(क) वायु सेना कारागारों और निरोध बैरकों का शासन, प्रबन्ध और विनियमन,

(ख) उनके निरीक्षकों, परिदर्शकों, गवर्नरों और आफिसरों की नियुक्ति, हटाया जाना और शक्तियां,

(ग) उनमें परिरोध भोग रहे कैदियों का श्रम और ऐसे कैदियों या व्यक्तियों को इसके समर्थ बनाने के लिए कि विशेष उद्योग और अच्छे आचरण द्वारा वे अपने दण्डादेश के प्रभाग का परिहार उपार्जित कर सकें,

(घ) ऐसे कैदियों या व्यक्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा और उनमें अनुशासन बनाए रखना और उन्हें उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए दण्ड, शारीरिक सजा द्वारा, अवरोध द्वारा या अन्यथा दिया जाना,

---

[1] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[*] इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया।

(ङ) कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) के उन उपबन्धों में से किन्हीं को वायु सेना कारागारों या निरोध बैरकों पर चालू करना जो कारागार के आफिसरों के कर्तव्यों और उन व्यक्तियों को, जो कैदी नहीं हैं, दण्ड देने से सम्बंद्ध हैं,

(च) किसी कारागार में उचित समयों पर और उचित निर्बन्धनों के अध्यधीन उन व्यक्तियों का प्रवेश जिनके साथ बातचीत करने की कैदी वांछा करें और विचारणाधीन कैदियों द्वारा अपने विधि सलाहकारों से श्रवणगोचर दूरी के अन्दर यावत्सम्भव किसी पर-व्यक्ति की उपस्थित के बिना, परामर्श ।

176. नियम बनाने की शक्ति पर शारीरिक दण्ड के बारे में निर्बन्धन—धारा 175 के अधीन बनाए गए नियम न तो किसी अपराध के लिए शारीरिक दण्ड दिया जाना प्राधिकृत करेंगे और न कारावास को उससे अधिक कठोर बनाएंगे जितना वह भारत में सिविल कारागारों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन हो ।

अध्याय 14

क्षमा, परिहार और निलम्बन

177. क्षमा और परिहार—जबकि इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, सेना-न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है तब केन्द्रीय सरकार, [1][वायु सेनाध्यक्ष], ग्रुप का समादेशन करने वाला कोई एयर आफिसर या अन्य आफिसर या विहित आफिसर—

(क) या तो उन शर्तों के सहित या बिना जिन्हें दण्डादिष्ट व्यक्ति प्रतिगृहीत करता है उस व्यक्ति को क्षमा कर सकेगा या अधिनिर्णीत सम्पूर्ण दण्ड या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगा, अथवा

(ख) अधिनिर्णीत दण्ड में कमी कर सकेगा, अथवा

(ग) ऐसे दण्ड को इस अधिनियम में वर्णित किसी लघुतर दण्ड या दण्डों में लधुकृत कर सकेगा :

परन्तु निर्वासन का दण्डादेश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत निर्वासन की अवधि से अधिक की अवधि के कारावास के दण्डादेश में लघुकृत नहीं किया जाएगा, और कारावास का दण्डादेश ऐसे अधिनिर्णीत कारावास की अवधि से अधिक की अवधि के निरोध के दण्डादेश में लघुकृत नहीं किया जाएगा,

(घ) या तो उन शर्तों के सहित या बिना जिन्हें दण्डादिष्ट व्यक्ति प्रतिगृहीत करता है, उस व्यक्ति को पैरोल पर निर्मुक्त कर सकेगा ।

178. सशर्त क्षमा, पैरोल पर निर्मुक्ति या परिहार को रद्द करना—(1) यदि कोई शर्त, जिस पर किसी व्यक्ति को क्षमा या पैरोल पर निर्मुक्त किया गया है या जिस पर किसी दण्ड का परिहार किया गया है उस प्राधिकारी की राय में जिसने क्षमा, निर्मुक्ति या परिहार अनुदत्त किया था, पूरी नहीं की गई है तो वह प्राधिकारी उस क्षमा, निर्मुक्ति या परिहार को रद्द कर सकेगा और तदुपरि न्यायालय का दण्डादेश ऐसे क्रियान्वित किया जाएगा मानो ऐसे क्षमा, निर्मुक्ति या परिहार अनुदत्त नहीं किया गया था ।

(2) वह व्यक्ति, जिसके निर्वासन या कारावास का दण्डादेश उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन क्रियान्वित किया जाता है, अपने दण्डादेश का केवल अनवसित प्रभाग ही भोगेगा ।

179. वारण्ट आफिसर या अनायुक्त आफिसर की अवनति—जबकि धारा 79 के उपबन्धों के अधीन यह समझा जाता है कि कोई वारण्ट आफिसर या अनायुक्त आफिसर सामान्य सैनिकों में अवनत किया गया है, तब ऐसी अवनति धारा 177 के प्रयोजन के लिए सेना-न्यायालय के दण्डादेश द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड मानी जाएगी ।

180. निर्वासन, कारावास या निरोध के दण्डादेश का निलम्बन—(1) जहां कि इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति किसी सेना-न्यायालय द्वारा निर्वासन, कारावास या निरोध से दण्डादिष्ट किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार, [1][वायु सेनाध्यक्ष] अथवा जनरल या सम्मरी जनरल सेना-न्यायालय संयोजित करने के लिए सशक्त कोई आफिसर दण्डादेश को निलम्बित कर सकेगा, चाहे अपराधी को कारागार के या वायु सेना अभिरक्षा के सुपुर्द पहले ही कर दिया गया हो या न कर दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर, ऐसे दण्डादिष्ट अपराधी की दशा में निर्देश दे सकेगा कि जब तक ऐसे प्राधिकारी या आफिसर के आदेश अभिप्राप्त न कर लिए जाएं तब तक अपराधी को कारागार के या वायु सेना अभिरक्षा के सुपुर्द नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे दण्डादेश की दशा में किया जा सकेगा जिसकी पुष्टि की जा चुकी है या जो घटा दिया गया है या लघुकृत कर दिया गया है ।

181. निलम्बन के लम्बित रहने तक आदेश—पुष्टिकर्ता आफिसर धारा 180 में निर्दिष्ट किसी दण्डादेश की पुष्टि करते समय निदेश दे सकेगा कि अपराधी को कारागार के या वायु सेना अभिरक्षा के सुपुर्द तब तक न किया जाए जब तक कि धारा 180 में निर्दिष्ट अधिकारी या आफिसर के आदेश अभिप्राप्त न कर लिए जाएं ।

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा "कमांडर-इन-चीफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

182. निलम्बन पर निर्मुक्ति—जहां कि कोई दण्डादेश धारा 180 के अधीन निलम्बित किया जाता है, वहां अपराधी को अभिरक्षा से तत्काल निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

183. निलम्बन की कालावधि की संगणना—वह कालावधि, जिसके दौरान दण्डादेश निलम्बनाधीन है, उस दण्डादेश की अवधि का भाग मानी जाएगी ।

184. निलम्बन के पश्चात् आदेश—धारा 180 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर किसी भी समय, जिस दौरान दण्डादेश निलम्बित है, आदेश दे सकेगा कि—

(क) अपराधी उस दण्डादेश के अनवसित प्रभाग को भोगने के लिए सुपुर्द किया जाए, अथवा

(ख) दण्डादेश का परिहार किया जाए ।

185. निलम्बन के पश्चात् मामले पर पुनर्विचार—(1) जहां कि कोई दण्डादेश निलम्बित किया गया है वहां धारा 180 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर द्वारा या धारा 180 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर द्वारा, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे एयर आफिसर या अन्य आफिसर द्वारा, जो स्क्वैड्रन लीडर के रैंक से अनिम्न रैंक का है, मामले पर पुनर्विचार किसी भी समय किया जा सकेगा और चार मास से अनधिक अन्तरालों पर किया जाएगा ।

(2) जहां कि ऐसे प्राधिकृत आफिसर द्वारा ऐसे पुनर्विचार पर उसे यह प्रतीत होता है कि अपराधी का आचरण दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा रहा है कि दण्डादेश का परिहार करना न्यायोचित होगा वहां वह मामले को धारा 180 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर को निर्देशित करेगा ।

186. निलम्बन के पश्चात् नया दण्डादेश—जहां कि किसी अपराधी को, उस समय के दौरान, जब उसका दण्डादेश इस अधिनियम के अधीन निलम्बित है, किसी अन्य अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जाता वहां—

(क) यदि अतिरिक्त दण्डादेश भी इस अधिनियम के अधीन निलंबित किया जाता है तो वे दोनों दण्डादेश साथ-साथ भोगे जाएंगे,

(ख) यदि अतिरिक्त दण्डादेश तीन मास या अधिक की कालावधि के लिए है और इस अधिनियम के अधीन निलम्बित नहीं किया जाता है, तो अपराधी पूर्ववर्ती दण्डादेश के अनवसित प्रभाग के लिए भी कारागार या वायु सेना अभिरक्षा के सुपुर्द किया जाएगा किन्तु दोनों दण्डादेश साथ-साथ भोगे जाएंगे, तथा

(ग) यदि अतिरिक्त दण्डादेश तीन मास से कम की कालावधि के लिए है और इस अधिनियम के अधीन निलम्बित नहीं किया जाता है तो अपराधी केवल उसी दण्डादेश पर ऐसे सुपुर्द किया जाएगा और पूर्ववर्ती दण्डादेश, किसी ऐसे आदेश के अध्यधीन रहते हुए, जो धारा 184 या धारा 185 के अधीन पारित किया जाए, निलम्बित बना रहेगा ।

187. निलम्बन की शक्ति की परिधि—धाराओं 180 और 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियां, कमी करने, परिहार और लघुकरण की शक्ति के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में होंगी ।

188. निलम्बन और परिहार का पदच्युति पर प्रभाव—(1) जहां कि किसी अन्य दण्डादेश के अतिरिक्त पदच्युति का दण्ड किसी सेना-न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है और ऐसा अन्य दण्डादेश धारा 180 के अधीन निलम्बित किया जाता है वहां ऐसी पदच्युति तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक कि धारा 180 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर द्वारा वैसा आदिष्ट न किया जाए ।

(2) यदि धारा 184 के अधीन ऐसे अन्य दण्डादेश का परिहार किया जाता है तो पदच्युति के दण्ड का भी परिहार कर दिया जाएगा ।

अध्याय 15

नियम

189. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तद्धीन बनाए गए नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) इस अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्तियों का सेवा से हटाया जाना, निवृत्त किया जाना, निर्मुक्त किया जाना या उन्मोचित किया जाना;

(ख) धारा 90 के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले जुर्मानों की रकम और उनका आपतन;

(ग) उस दण्ड का विनिर्देशन जो फील्ड दण्डों के रूप में धाराएं 77 और 82 के अधीन अधिनिर्णीत किया जा सकेगा;

(घ) जांच अधिकरणों का समवेत होना और उनकी प्रक्रिया, ऐसे अधिकरणों द्वारा साक्ष्य के संक्षेपों का अभिलेखन और शपथ का दिलाया जाना या प्रतिज्ञान का कराया जाना;

(ङ) सेना-न्यायालयों का संयोजन और गठन और सेना-न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले विचारणों में अभियोजकों की नियुक्ति;

(च) सेना-न्यायालयों का स्थगन, विघटन और बैठक;

(छ) सेना-न्यायालयों द्वारा विचारणों में अनुपालनीय प्रक्रिया और उनमें विधि व्यवसायियों की उपसंजाति;

(ज) सेना-न्यायालयों के निष्कर्षों और दण्डादेशों की पुष्टि, पुनरीक्षण और बातिलकरण और उनके विरुद्ध अर्जियां;

(झ) सेना-न्यायालयों के दण्डादेशों का क्रियान्वित किया जाना;

(ञ) सेना-न्यायालयों, निर्वासन, कारावास और निरोध के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किए जाने वाले आदेशों के प्ररूप;

(ट) यह विनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों का गठन कि धारा 100 के अधीन आश्रितों के लिए उपबन्ध किन व्यक्तियों के लिए किन रकमों तक और किस रीति से किया जाना चाहिए और ऐसे विनिश्चयों का सम्यक् क्रियान्वयन;

(ठ) नियमित सेना, नौ सेना और वायु सेना के आफिसरों, कनिष्ठ आयुक्त आफिसरों, वारण्ट आफिसरों, पैटी आफिसरों और अनायुक्त आफिसरों का, जब वे एक साथ कार्य कर रहे हों, अपेक्षिक रैंक;

(ड) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट हो ।

190. विनियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार धारा 189 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न इस अधिनियम के सब प्रयोजनों या उनमें से किन्हीं के लिए विनियम बना सकेगी ।

191. नियमों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशन—इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम और विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर ऐसे प्रभावशील होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित हों ।

[1][**191क. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना**—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

192. [निरसन ।]—निरसन और संशेधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

अध्याय 16

अस्थायी उपबन्ध

193. ब्रिटिश आफिसर की परिभाषा—(1) इस अध्याय में ब्रिटिश आफिसर से अभारतीय अधिवास वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो हिज मैजेस्टी के वायु बल में आयोग धारण किए हुए है और वायु सेना में सेवा कर रहा है ।

(2) इस अधिनियम में "वरिष्ठ आफिसर" पद के अन्तर्गत ब्रिटिश आफिसर आता है यह समझा जाएगा ।

194. ब्रिटिश आफिसर की शक्तियां—ब्रिटिश आफिसर को वे सभी शक्तियां होंगी, जो तत्समान रैंक के या तत्समान नियुक्ति धारण करने वाले किसी आफिसर को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हैं ।

---

[1] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंत:स्थापित ।